आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

अक्तूबर 2024

क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/- ₹

महिला उत्पीड़न :

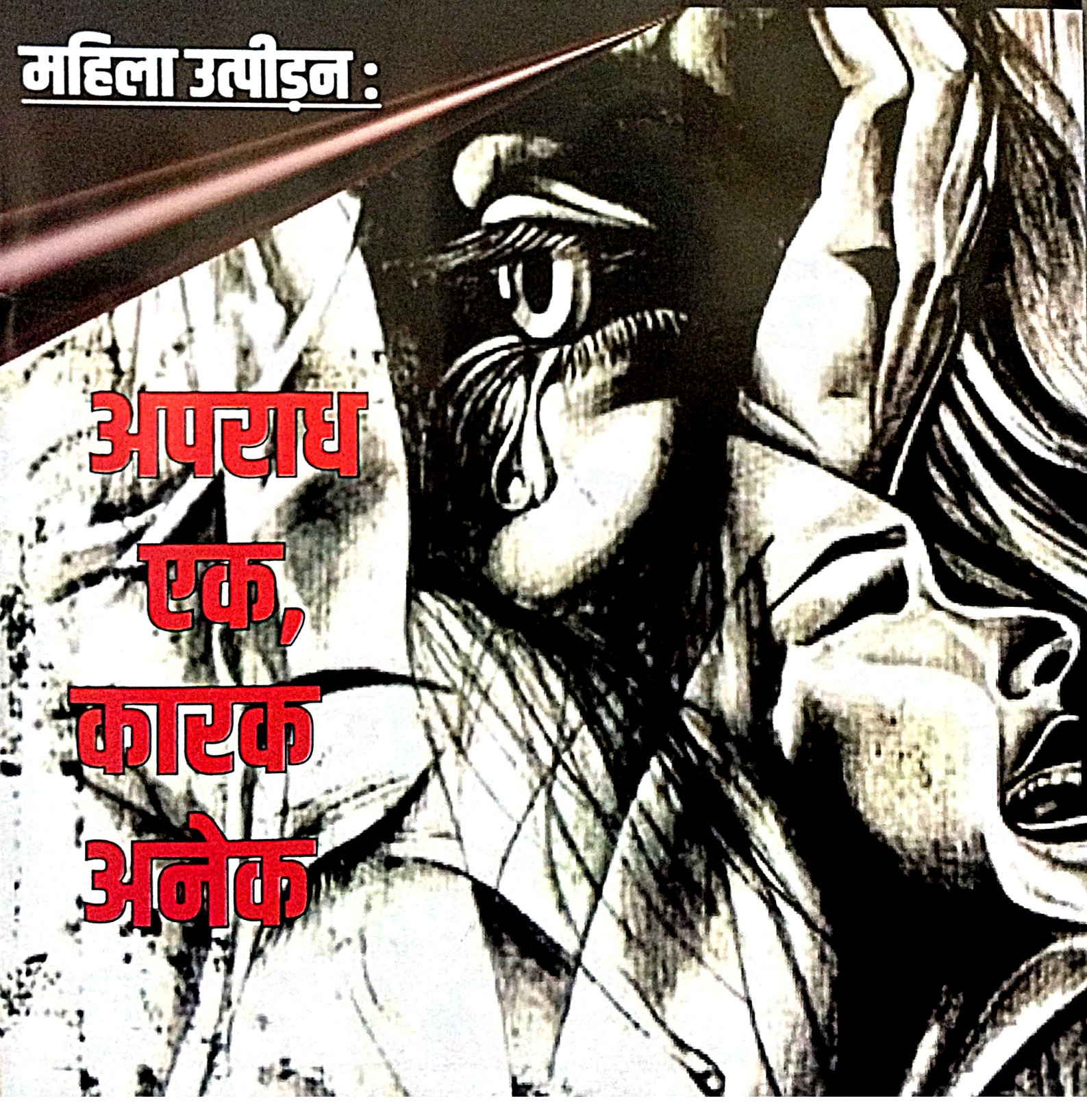

अपराध एक, कारक अनेक

A Well Wisher

J.I.H Damoh (MP)

"रहे मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, वे सब परस्पर एक-दूसरे के मित्र हैं। भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। नमाज़ क़ायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञापालन करते हैं। ये वे लोग हैं, जिनपर शीघ्र ही अल्लाह दया करेगा। निस्सन्देह अल्लाह प्रभुत्वशाली, तत्वदर्शी है।"

(क़ुरआन, 9:71)

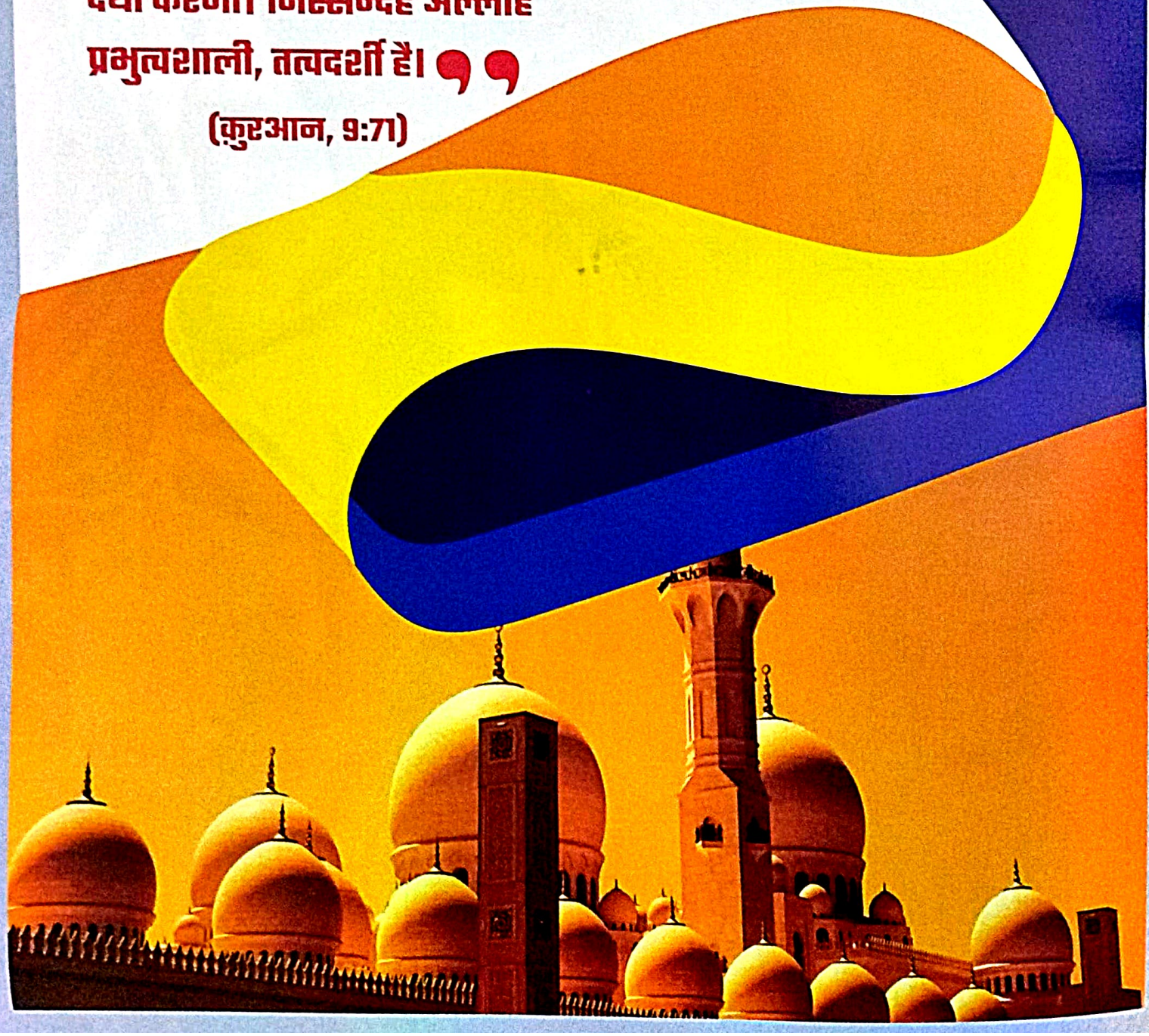

Website Link :
www.kantimasik.com

संपादक
शिब्ली अरसलान
abuaniqa@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि

एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
9818799223

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं
ASILA OFFSET PRINTERS
1299, KALAN MAHAL,
NEW DELHI-110002

संपादक : शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 34 अंक 04 अक्तूबर 2024

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

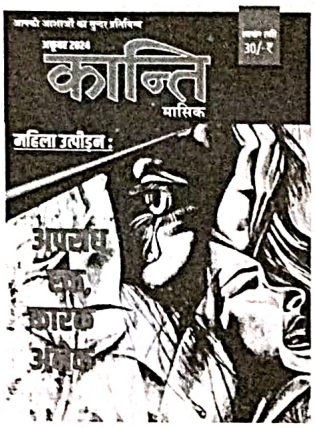

कान्ति
मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
स्वतंत्रता,
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
नैतिक मूल्यों का वैज्ञानिकीकरण
डॉ. मुहम्मद रिज़वान

विमर्श 11
एलजीबीटीक्यू+ : मानवाधिकार बनाम यौन अधिकार
संपादन प्रभाग

मुख्य स्तंभ 15
महिला उत्पीड़न : अपराध एक, कारक अनेक
सुफ़ियान अहमद

अभिमत 19
भय के वातावरण में जीती स्त्रियां
मोनिका शर्मा

समाधान 23
यौन उत्पीड़न के कारकों का कैसे हो दमन?
संपादन प्रभाग

कविता 26
विफल प्रयत्न हुए सारे, मैं हारी निष्ठुरता जीती
सुभद्राकुमारी चौहान

समसामयिक 27
बर्बरता पर ब्रेक
डॉ. प्रदीप कुमार

मंथन 30
मणिपुर : आग की अनदेखी क्यों ?
जितेंद्र गौतम

विशेष 33
गांधी से नफ़रत या गांधी से डर ?
सुभाष गताडे

सेहत 37
स्क्रीन टाइम बना रहा युवाओं को अनिद्रा का शिकार
संपादन प्रभाग

करियर 39
बीटेक का क्रेज आज भी है बरक़रार
संपादन प्रभाग

प्रकाश स्तंभ 42
असीम ज्ञान और सीमित बुद्धि
सैयद वक़ार अहमद हुसैनी

कहानी 45
बचाव
ख़ुर्शीद ख़िज़र

आख़िरी पन्ना 48
नैतिक दोष : जिन्हें क़ुरआन दूर करना चाहता है
अमरपाल सिंह

मूल प्रश्न



शिब्ली अरसलान

नारी स्मिता पर प्रहार

कोलकाता में एक महिला इंटर्न डॉक्टर के साथ होने वाले जघन्य अपराध पर हमेशा की तरह खूब रोष प्रकट किये जारहे हैं। अखबार,टीवी और सोशल मीडिया पर खूब तूफान मच रहा। हमेशा की तरह विलाप और रोष प्रकट करने वाले मध्य वर्ग पर कुछ दिनों बाद,कुछ महीनों और सालों के लिए मुर्दा-शांति छा जायेगी,जैसे मसला हल हो गया हो,या जैसे किसी नई घटना का इंतेज़ार हो रहा हो। फिर निकट भविष्य में किसी मध्य वर्गीय लड़की और महिला के साथ होने वाले यौन अपराध पर हाय तौबा के लिए सभी सक्रिय होंगे। हालांकि इसी बीच कई और घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं,जिस पर अधिक हंगामा नहीं हुआ। हरियाणा के जीन्द में एक निजी स्कूल के प्रधानाध्यापक ने अपने ही स्कूल की एक दस वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न किया,उधर महाराष्ट्र के बदलापुर में बेहद मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की दो घटनाएं भी मीडिया रिपोर्ट में आई हैं। कितने मामले तो ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। बलात्कारी दबंगो के डर या परिवार की इज़्ज़त की वजह से ढेरों घटनाएं रिकॉर्ड में ही नहीं आतीं। वैसे रिकॉर्ड में आने वाली घटनाओं की संख्या और संगीनी भी इतनी है कि एक साधारण व्यक्ति घबरा उठे। समाज इतना वहशी हो गया है कि किसी भी उम्र की बेटियां महफूज़ नहीं हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्योरो(NCRB)के आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2022 के मध्य बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले में 96 फीसद का इज़ाफ़ा हुआ है,जिसमें ज़ाहिर है कि बच्चियों की संख्या अधिक है,ये स्थिति अत्यंत भयावह है।

बौद्धिक जगत में रह रह कर फिर वही घिसा-पिटा बेदिली से किया गया सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि आख़िर इन घृणित अपराधों के पीछे क्या कारण हैं? ये 'बहस बराये बहस' के लिए उठाया जाने वाला प्रश्न है। इस प्रश्न के पीछे कोई संवेदनशीलता नज़र नहीं आती। इस प्रश्न पर कथित बौद्धिक सभ्य समाज को करना धरना कुछ नहीं है। इस प्रश्न पर बुद्धिजीवी अपने अपने विचार प्रकट करते रहे हैं। कुछ इसे न्याय प्रक्रिया में विलम्ब और जाँच एजेंसियों के ढुलमुल रवय्ये से जोड़ कर देखते हैं और लचर लॉ एंड ऑर्डर को यौन अपराध की असल वजह मानते हैं तो कुछ नारीवादी जन्म ही से लड़के-लड़कियों में बरते जाने वाले पक्षपात और 'मर्दवाद' को इन अपराधों के पीछे मुख्य कारण मानते हैं। नारीवादी महिलाओं का ये कहना है कि पुरुष समाज,महिलाओं की कामयाबी से जल रहा है,आज महिलाएं जीवन के सभी मैदानों में पुरुषों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चल रही हैं जिसे पुरुष समाज पचा नहीं पारहा,यही कारण है कि पुरुषों द्वारा यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं।कुछ महानुभाव पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण को इसका मुख्य कारण मानते हैं।वे कहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति का सब से बड़ा दुष्परिणाम युवाओं के यौन जीवन में आई विकृति है। भारतीय युवा पीढ़ी वेस्टर्न कल्चर की राह पर चल कर स्वछंदता और अश्लीलता को ही सभ्यता का मानक मान बैठी है। ये स्वछंदता और अश्लीलता ही यौन शोषण की वजह है। वहीं नैतिकता और शालीनता की बात करने वाले सामाजिक-धार्मिक समूह आधुनिक कहलाने वाली

महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले उन्मुक्त पोशाक व परिधान को यौन अपराध का वास्तविक कारण मानते हैं जबकि नारीवादी और लिबरल खेमा इस तर्क का मज़ाक़ उड़ाता है। वास्तव में ये सभी कारण यौन अपराध के कारण हैं,एक भी कारण को नज़र अंदाज़ नहीं किया जा सकता।यौन हिंसा या उत्पीड़न के कई आयाम हैं,ऊपर वर्णित सारे कारण यौन हिंसा के अलग अलग आयाम की व्याख्या करते हैं,किसी एक कारण को जो वास्तव में किसी एक पहलू पर से पर्दा उठाता है,इस समस्या का अकेला असल कारण नहीं माना जा सकता। लचर लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासनिक निर्लज्जता ने अपराधियों को इस घृणित अपराध के लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं।ये एक कटु सत्य है कि आधुनिक प्रौद्योगिक विकास का लाभ हमारी सरकारों और न्याय व्यवस्था से अधिक बलात्कारियो ने उठाया।आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास,फॉरेंसिक विज्ञान और रिकॉर्ड रखने के नये अद्भुत तरीक़े से जो लाभ मिलता हुआ नज़र आना चाहिए वो नज़र नहीं आता।बहुत से मामलों में तो आरोपी को दोषी साबित करना ही कठिन होता है।यौन हिंसा से संबंधित अत्यंत घृणित अपराध करने वाले दुर्दांत अपराधी भी क़ानून के शिकंजे से छूट जाते हैं। यदि कोई अपराधी पकड़ा भी जाता है तो वो उचित सज़ा के आभाव में जल्द ही ज़मानत पर बाहर निकल जाता है,परिणाम स्वरूप उसका साहस पहले से और अधिक बढ़ जाता है।आरोप साबित होने पर सख़्त सज़ा का मिलना बेहद ज़रूरी है ताकि अपराधी सबक़ लें।मानव निर्मित क़ानूनी व्यवस्था से इतर ईश्वरीय व्यवस्था में बलातकार की सख़्त सज़ा इसी वजह से रखी गयी है ताकि अपराधी का साहस और मनोबल दबा रहे।अंतिम ईश्वरीय संदेश क़ुरान के अनुसार तो सहमति से किये जाने वाले व्यभिचार पर सौ कोड़े लगाये जाने का आदेश है,बलातकार और फिर क़त्ल पर तो संगसार अर्थात पत्थरों से मार कर मृत्युदंड देने का आदेश है।इतिहास गवाह है कि अरब समाज को बौद्धिक तौर पर जब इस आदेश को लागू करने के लिए तैयार कर लिया गया और ये आदेश लागू हुआ तो यौन अपराध की वारदात नगण्य हो गयी।

नारीवादियों का ये तर्क भी किसी हद तक सही है कि मर्दवादी सोच के युवा और अधेड़ मर्द जीवन में महिलाओं की पेश-क़दमी से जलते हैं,बलात्कार के बाद बुरी तरह हत्या की कई बेहद दुखद घटनाओं के पीछे ऐसे कारण भी उजागर हुए हैं। वैसे ही आधुनिक उदारवादी पश्चिमी संस्कृति की अंधी पैरवी ने समाज में खुलेपन और स्वछंदता की जो लहर पैदा कर रखी है,वो बेहद घातक है।लड़के और लड़कियों के बीच बेरोक टोक संबंध,लिव इन रिलेशन,निर्लज्ज मनोरंजन उद्योग,पब और डिस्को कल्चर आदि ने इंसान को 'वल्चर'(vulture) बना कर रख दिया है।पिछले वर्षों में कई कुकृत्य लिव इन रिलेशन में रहने वालों के सामने आये।दिल्ली की श्रद्धा और मुंबई की सरस्वती के साथ उसके बॉय फ्रेंड ने जो वहशियान कुकृत्य किया था वो अभी हमारी याददाश्त में ताज़ा है। स्वछंदता और इंटरनेट की अश्लीलता के रोग ग्रस्त युवा



जब उन्मुक्त वस्त्रों और नग्न पोशाकों में नारी शरीर को देखते हैं तो मौका पाकर यौन आक्रमण करते हैं,इस तथ्य की हम सिरे से अनदेखी नहीं कर सकते।शालीन लिबास की ज़रूरत मर्द व औरत सभों को है।आधुनिकता के नाम पर कपड़े पहन कर बे- लिबासी पागलपन और मूर्खता है। आज आवश्यकता महज़ कारणों पर बहस करने की नहीं,बल्कि जो भी कारण आप को समझ में आता है,उस के निवारण के लिए खड़े होने की है।पानी सर से काफी ऊपर जा चुका हैं,आयें महिलाओं पर होने वाले इस अत्याचार के ख़िलाफ़ मज़बूत पुल बांधने के काम में जुट जाएं।

“तुममें जो बड़ाई वाले और सामर्थ्यवान हैं, वे नातेदारों, मुहताजों और अल्लाह की राह में घरबार छोड़ने वालों को देने से बाज़ रहने की क़सम न खा बैठें। उन्हें चाहिए कि क्षमा कर दें और उनसे दरगुज़र करें। क्या तुम यह नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें क्षमा करे? अल्लाह बहुत क्षमाशील, अत्यंत दयावान है।”

(कुरआन, 24:22)

with best compliment from

J.I.H. Chhan,
Sawai Madhopur (Raj.)



नैतिक मूल्यों का वैज्ञानिकीकरण

विज्ञानवाद (scientism) की यह प्रबल धारणा है कि ज्ञान का एकमात्र साधन वैज्ञानिक पद्धति ही है। इसके अलावा जितने भी ज्ञान के साधन हो सकते हैं वे या तो अप्रचलित (obsolete) हैं या अवास्तविक और अविश्वसनीय हैं। अर्थात् विज्ञानवाद ज्ञान और उसकी प्राप्ति में एक प्रकार के सर्वाधिकारवाद (totalitarianism) का झंडावाहक है। इसलिए ज्ञान की प्रत्येक विधि जो प्रचलित भौतिक विज्ञान की कार्य पद्धतियों (methodology) पर पूरी नहीं उतरती, वह ज्ञान का साधन नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए—प्रकाशना (वह्य), अंतर्ज्ञान, कुछ अवलोकनों, सामाजिक रवैयों का औचित्य, नैतिक मूल्य और उनके निष्कर्षण की विधि आदि।

विज्ञानवाद के द्वारा निर्मित इस सर्वाधिकारवाद ने एक विशेष वर्ग के लोगों के एक बड़े हिस्से को ज्ञान के अन्य साधनों से वंचित कर दिया।



हालांकि वैज्ञानिक ढांचे ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिये, जिससे जनता चुप तो हो गयी, लेकिन संतुष्ट नहीं हो सकी। इस प्रकार विज्ञानवाद ने ज्ञान का एक एकरंगी कैनवास तैयार कर दिया है, जिसमें मनुष्य और ब्रह्मांड से जुड़े हर सवाल का जवाब भौतिक विज्ञान के माध्यम से देने की नाकाम कोशिश की जाती है। वो तमाम सवाल जिनके जवाब देने की कोशिश में फिर नए सवाल खड़े हो जाते हैं।

विज्ञानवाद का दूसरा सबसे स्पष्ट प्रभाव नैतिकता और मूल्यों का वैज्ञानिकीकरण है। अब तो फिर भी इस प्रभाव को विशिष्ट लोगों, विशेषकर वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच कमज़ोर होते हुए देखा जा सकता है, लेकिन उन्नीसवीं सदी के सभी भौतिक वैज्ञानिकों या सामाजिक जीव विज्ञान (social biology) की पूरी जड़ों में हम इस रुझान को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, मानवीय करुणा या दया एक ईश्वरीय गुण है, एक ऐसा गुण जिसको सृष्टिकर्ता से जोड़ा जाता है।

जीव विज्ञान में इसे जैविक परोपकारिता (biological altruism) कहा जाता है। यानी दया इसलिए है क्योंकि इंसान अपनी प्रजाति को बचाना चाहता है, इसलिए किसी दूसरे इंसान की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है। अपने हिस्से के संसाधनों में से उन लोगों को भोजन या आश्रय या भावनात्मक सहारा देता जो इससे वंचित हैं। विज्ञानवाद कहता है कि यह भावना ईश्वरीय या किसी सृष्टिकर्ता द्वारा नहीं दी गई, बल्कि यह केवल परोपकारिता (altruism) की जैविक अभिव्यक्तियां हैं। जब इस पर और शोध हुए और इसके विपरीत परिणाम आने लगे तो इसके तीन और प्रकार खोज लिए गए और कहा जाने लगा कि जैविक परोपकारिता मूलतः दया और करुणा का स्पष्टीकरण है, लेकिन इसके विभिन्न प्रकार हैं, या दया और करुणा की भावना का वैज्ञानिक औचित्य जैविक परोपकारिता से ही संभव है। मतलब यह है कि इस ईश्वरीय गुण की व्याख्या के लिए विज्ञानवाद के इस ढांचे को घटा या बढ़ा दिया गया और ज्ञान के किसी अन्य साधन या किसी अन्य स्पष्टीकरण और व्याख्या को सार्थक नहीं समझा गया।

हालांकि वैज्ञानिक ढांचे ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिये, जिससे जनता चुप तो हो गयी, लेकिन संतुष्ट नहीं हो सकी। इस प्रकार विज्ञानवाद ने ज्ञान का एक एकरंगी कैनवास तैयार कर दिया है, जिसमें मनुष्य और ब्रह्मांड से जुड़े हर सवाल का जवाब भौतिक विज्ञान के माध्यम से देने की नाकाम कोशिश की जाती है। वो तमाम सवाल जिनके जवाब देने की कोशिश में फिर नए सवाल खड़े हो जाते हैं।

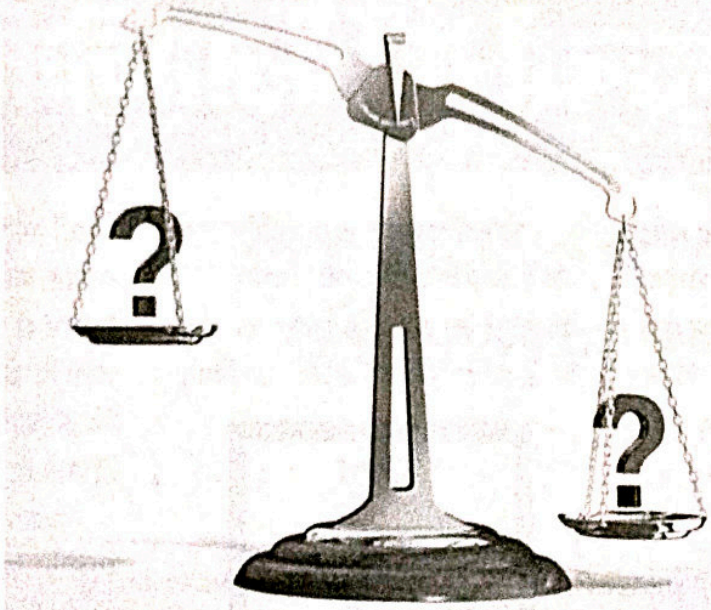

दया या करुणा जैसी भावना के लिए इस तरह का ढांचा महज़ सरसरी बात नहीं है। सामाजिक जीव विज्ञान में विज्ञानवाद के प्रभाव के बारे में कुछ शोधकर्ता दुनिया में होने वाले बहुत सारे मानव-विरोधी निर्णयों और नीतियों को नैतिकता और मूल्यों के वैज्ञानिकीकरण के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए जैव-नैतिकता (bioethics) में बहुत सारी जैव-नैतिक समस्याओं के सिलसिले में आधुनिक जैवनैतिकता के विशेषज्ञों के निर्णय देखे जा सकते हैं, जो मानव सदृश (humanoid) या साइबोर्ग या मानव क्लोनिंग आदि के सिलसिले में हैं।

बिल्कुल इसी तरह ममता की भावना की बात है। ममता की भावना भी अपने आपमें एक ईश्वरीय मंशा धारण किए हुए है। विज्ञानवाद के दृष्टिकोण के अनुसार, मातृत्व की भावनाएं केवल हार्मोन (एक रासायनिक पदार्थ) ऑक्सीटोसिन पर निर्भर है, जबकि विज्ञान ने अभी तक अंतिम रूप से यह साबित नहीं किया है कि मातृत्व की भावना केवल ऑक्सीटोसिन से पैदा होती है। हालांकि ऑक्सीटोसिन के विपरीत ममता की भावना के सबूत मौजूद हैं, लेकिन विज्ञानवाद इसे अपवाद (exceptions) क़रार देता है। ममता की भावना को महज़ रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम क़रार देने के बहुत से प्रभाव समाज ने सीधे तौर पर महसूस किये हैं। उदाहरण के लिए मां की कोख को किराए पर देने की प्रक्रिया "सरोगेसी" (surrogacy) और इससे जुड़े बहुत से मामलों में सरोगेट मदर को महज़ एक मशीन (incubator) के रूप में देखना और फिर सरोगेट मदर (surrogate mother) को महज़ बच्चे को अपने गर्भ में पालने वाली औरत (baby carrier) तक सीमित करना, इन प्रभावों के परिणाम हैं।

सरोगेसी, क़ानूनी मां और इससे जुड़े जो हज़ारों मामले इस समय अमेरिकी और यूरोपीय अदालतों में चल रहे हैं, वह दरअस्ल इसी मामता की भावना को मात्र रासायनिक प्रक्रिया मान लेने के परिणामस्वरूप पैदा हुए हैं। होता यह है कि जब अपेक्षाकृत संपन्न महिलाएं अधिक पैसा कमाने के लिए अपनी कोख किराए पर देती हैं, तो गर्भधारण के बाद स्वाभाविक रूप से उन्हें बच्चे

विज्ञानवाद का दूसरा सबसे स्पष्ट प्रभाव नैतिकता और मूल्यों का वैज्ञानिकीकरण है। अब तो फिर भी इस प्रभाव को विशिष्ट लोगों, विशेषकर वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच कमज़ोर होते हुए देखा जा सकता है, लेकिन उन्नीसवीं सदी के सभी भौतिक वैज्ञानिकों या सामाजिक जीव विज्ञान (SOCIAL BIOLOGY) की पूरी जड़ों में हम इस रुझान को देख सकते हैं।



से लगाव हो जाता है, और मातृत्व की भावना विकसित होती है, जिसके बाद बच्चे को उन लोगों को सौंपने में उसे मुश्किल हो जाती जिन्होंने उसकी कोख किराए पर लिया था। इसलिए अब यूरोप और अमेरिका में तीन तरह की माएं हैं पहली, जैविक मां (biological mother), जिसका अंडाणु होता है, दूसरे गर्भधारण करने वाली मां (gestational mother) जिस महिला की कोख किराए पर लिया जाए और उसमें भ्रूण पले-बढ़े या सरल भाषा में कहें तो जिस मां के गर्भ में बच्चा पले और तीसरी क़ानूनी मां (legal mother) यानी जो महिला क़ानून की नज़र में मां क़रार पाए और बच्चे के प्रमाण पत्र में उसका नाम मां के रूप में दर्ज किया जाए। इन तीन प्रकार की माताओं और बच्चों के क़ानूनी अधिकारों को लेकर हर साल सैकड़ों मामले अदालतों के सामने आते हैं।

''अतः शिक्षा ग्रहण करो, ऐ दृष्टि रखने वालो!'' (क़ुरआन, 59:2)

यहां यह नहीं सोचना चाहिए कि उपरोक्त प्रभाव सीमित प्रकृति का है। नहीं! बिल्कुल नहीं! अन्य कारकों के साथ मिलकर जीवन की ऐसी अवधारणा, जिसमें नैतिक मूल्यों का वैज्ञानिकीकरण कर दिया गया हो, पश्चिम के सामाजिक एवं सार्वजनिक जीवन में बड़ी क्रांति ला दी है। जिसका प्रत्यक्ष अवलोकन उन आंकड़ों से किया जा सकता है जो हर साल सरकारों और संस्थानों द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। ■■

क्रान्ति साप्ताहिक और क्रान्ति मासिक के सभी पाठक

कृपया ध्यान दें!

अपना पूरा नाम : .....

पता : .....

पोस्ट ऑफिस : .....

डिस्ट्रिक्ट : .....स्टेट : .....पिन : .....

कांटेक्ट नंबर : .....

नीचे दिए गए व्हाट्सऐप नम्बर पर भेजने की मेहरबानी करें।

धन्यवाद!

व्हाट्सऐप नंबर : 98187 99223

नोट : अपना कांटेक्ट नंबर लिखना न भूलें।

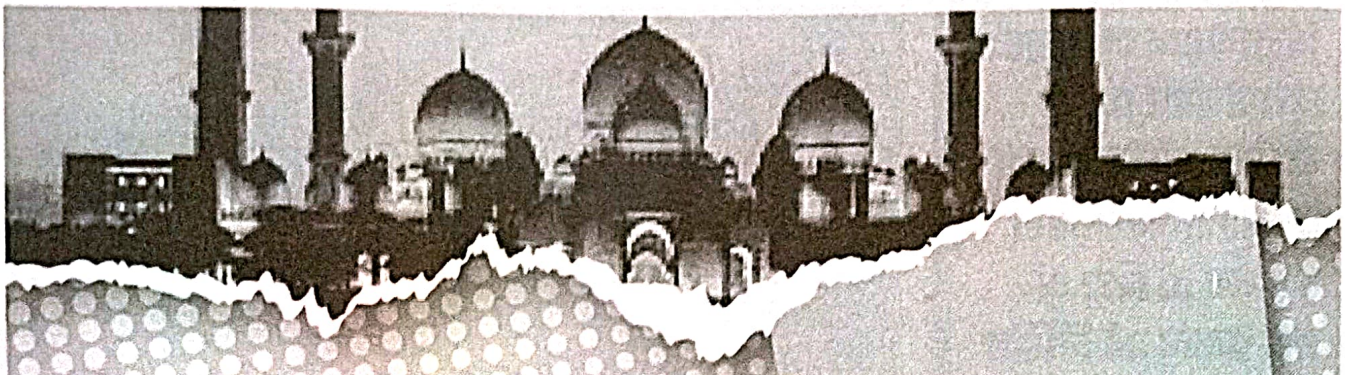

"अल्लाह वह है
जिसने आकाशों को बिना सहारे के
ऊँचा बनाया जैसा कि तुम उन्हें देखते हो।
फिर वह सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने सूर्य
और चन्द्रमा को काम पर लगाया। हरेक एक
नियत समय तक के लिए चला जा रहा है। वह
सारे काम का विधान कर रहा है; वह निशानियाँ
खोल-खोलकर बयान करता है, ताकि तुम्हें
अपने रब से मिलने का विश्वास हो।"
(कुरआन, 13:2)

A Well Wisher

J.I.H.
Daltonganj
(Jharkhand)

मानवाधिकार बनाम यौन अधिकार

विमर्श



संपादन प्रभाग

विज्ञान से आगे बढ़ कर विज्ञानवाद ने समलैंगिकता को वैध ठहरा दिया और आणविक जीव विज्ञान का सहारा लेकर यह बताया मानो समलैंगिक लोग ऐसे यौन व्यवहार के लिए मजबूर हैं। हालांकि यह विज्ञान का एक बहुत बड़ा झूठ है। विश्व स्तर पर हम इसके प्रभावों को महसूस कर सकते हैं। हद तो यह है कि ख़ुद हमारे देश के एक वर्ग विशेष में समलैंगिकता को लेकर एक ख़ास नैरेटिव बनाया जा चुका है। समलैंगिकता को महज़ एक अपूर्ण और अप्रमाणित वैज्ञानिक परिकल्पना के आधार पर उचित ठहराना एक नैतिक और वैज्ञानिक कदाचार है।

आज के आधुनिक युग में दुनियाभर में ऐसे असामान्य यौन व्यवहारों की कई स्तरों पर व्याख्या की जा रही है जिनका अभिप्राय महिला-पुरुष को अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पुरुष और महिला के पारस्परिक यौन संबंधों से बाहर अपनी यौन इच्छाओं और झुकावों को पूरा करने के लिए जाने से है, जैसे पुरुष समलैंगिकता, महिला समलैंगिकता आदि। (LGBTQI A) Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, Asexual विज्ञानवाद के सहारे ऐसे संबंधों को औचित्य प्रदान करने के प्रयास भी हो रहे हैं, इसका संबंध वैज्ञानिकीकरण या उन्हें वैज्ञानिक औचित्य प्रदान करने से है। यौन विकृति एवं विचलन से संबंधित इन यौन व्यवहारों को वैज्ञानिक औचित्य प्रदान करने के पीछे अवैज्ञानिक तर्कों पर नज़र डालना आवश्यक है–

समलैंगिकता को सामाजिक जीवविज्ञान के संदर्भ में अति प्राचीन व्यवहार बताने का प्रयास–सामाजिक जीव-विज्ञान या समाज-जीवविज्ञान (Sociobiology) दरअस्ल समाजशास्त्र की डार्विनियन और प्रकृतिवादी व्याख्या है। यानी मनुष्यों में मौजूद बहुत सारे सामाजिक व्यवहारों की व्याख्या करने के लिए इस विज्ञान का विकास हुआ है। विज्ञानवाद ने यौन व्यवहार पर हो रहे वैज्ञानिक शोधों के अधूरे, सापेक्षिक और अपर्याप्त आंकड़ों के आधार पर यह कहना शुरू कर दिया कि समलैंगिकता दरअस्ल कोई नई बात नहीं है, बल्कि समाज में समलैंगिकों की बड़ी संख्या हमेशा रही है।

समलैंगिक यौन व्यवहार को विकास का चरण साबित करने का प्रयास–यानी डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का सहारा लेकर यह बताने की कोशिश कि की समलैंगिकता दरअस्ल विकास के प्रतिफल (Bypr oduct) के रूप में प्राप्त हुई।

आणविक जीव विज्ञान के संदर्भों द्वारा समलैंगिकता के लिए ज़िम्मेदार जीन की खोज करने का प्रयास–बल्कि इससे आगे बढ़कर अंतिम जीन की खोज का दावा।

इन तीन स्तरों पर चर्चा विस्तार चाहती है। इनमें से प्रत्येक पर विधिवत शोध पत्र मौजूद हैं। पुस्तकें भी हैं।

आणविक जीव विज्ञान में समलैंगिक जीन (gay gene) को लेकर बहुत शोर मचाया गया, लेकिन यह महज़ विज्ञानवाद है। आणविक जीव विज्ञान में किसी व्यवहार के लिए किसी विशेष जीन को ज़िम्मेदार ठहराना अत्यंत अवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसलिए शीर्ष आणविक जीवविज्ञानी इस दावे को पूरी तरह से रद्द करते हैं कि समलैंगिकता के लिए कोई एक जीन ज़िम्मेदार है, जिसके आधार पर समलैंगिकता एक ऐसा व्यवहार बन जाए कि व्यक्ति क़ाबू में न रहे और समलैंगिक बनने के लिए मजबूर हो जाए। यानी आनुवंशिक नियतिवाद (genetic determinism) के प्रभाव में हो। हमारे निकट आणविक जीव विज्ञान स्पष्ट रूप से बताता है कि व्यवहार के स्तर पर जीन के साथ परिवेश भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, जो जीन के नियंत्रण के लिए ज़िम्मेदार होता है। इसलिए वे सभी आणविक जैविक निर्धारक (determinants) जो समलैंगिकता के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनमें प्रचलित अवैज्ञानिक अटकलें (speculation) हैं।

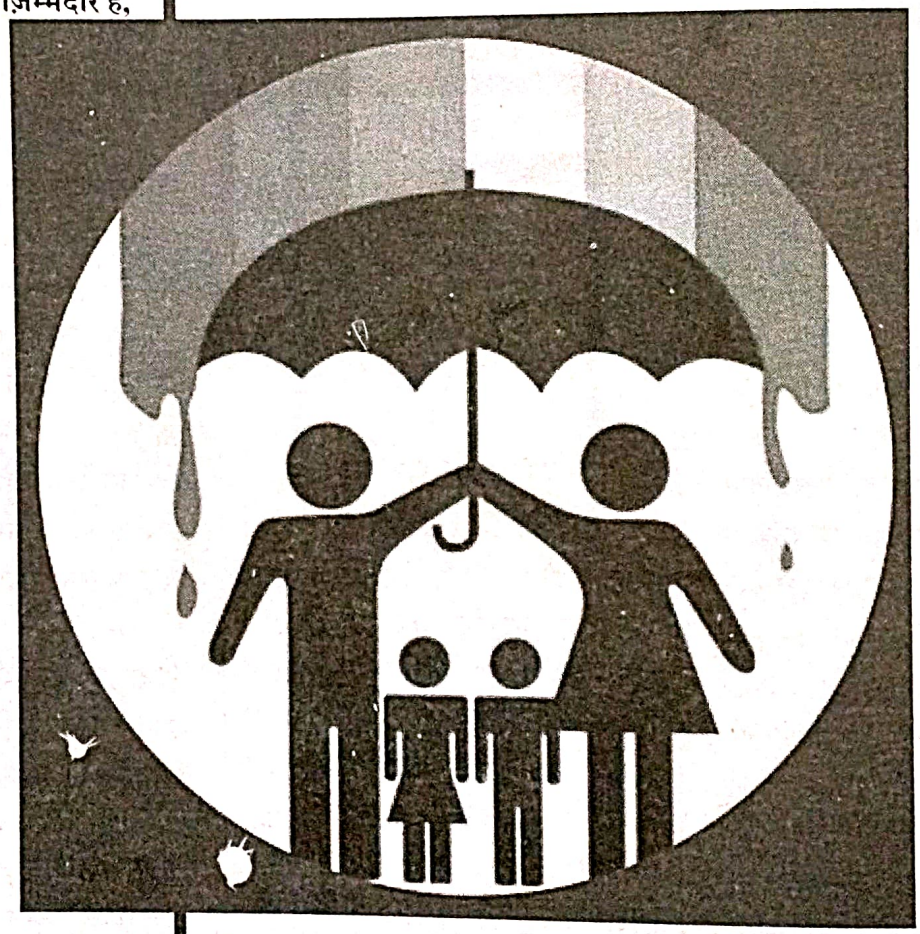

हालांकि उनके अध्ययन से यह बात सामने आती है कि अभी तक इन तीन स्तरों के प्रयासों में कोई भी अंतिम स्थिति या वास्तविकता तक पहुंचाने वाला सबूत या बिंदु मौजूद नहीं है। यानी अब तक यह अंतिम रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका है कि समलैंगिकता अतिप्राचीन यौन व्यवहार है। इसी प्रकार समलैंगिकता के विकास के विषय पर हर प्रकार का साहित्य मौजूद है और यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप किस दृष्टिकोण से इसे देखते हैं। दोनों ओर दलीलों के अंबार हैं। पुष्टि में भी और खंडन में भी।

आणविक जीव विज्ञान में समलैंगिक जीन (gay gene) को लेकर बहुत शोर मचाया गया, लेकिन यह महज़ विज्ञानवाद है। आणविक जीव विज्ञान में किसी व्यवहार के लिए किसी विशेष जीन को ज़िम्मेदार ठहराना अत्यंत अवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसलिए शीर्ष आणविक जीवविज्ञानी इस दावे को पूरी तरह से रद्द करते हैं कि समलैंगिकता के लिए कोई एक जीन ज़िम्मेदार है, जिसके आधार पर समलैंगिकता एक ऐसा व्यवहार बन जाए कि व्यक्ति क़ाबू में न रहे और समलैंगिक बनने के लिए मजबूर हो जाए। हमारे निकट आणविक जीव विज्ञान स्पष्ट रूप से बताता है कि व्यवहार के स्तर पर जीन के साथ परिवेश भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, जो जीन के नियंत्रण के लिए ज़िम्मेदार होता है। इसलिए वे सभी आणविक जैविक निर्धारक (determinants) जो समलैंगिकता के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनमें प्रचलित अवैज्ञानिक अटकलें (speculation) हैं।

लेकिन विज्ञान से आगे बढ़कर विज्ञानवाद ने समलैंगिकता को वैध ठहरा दिया और आणविक जीव विज्ञान का सहारा लेकर यह बताया मानो समलैंगिक लोग ऐसे यौन व्यवहार के लिए मजबूर हैं। हालांकि यह विज्ञान का एक बहुत बड़ा झूठ है। विश्व स्तर पर हम इसके प्रभावों को महसूस कर सकते हैं। हद तो यह है कि ख़ुद हमारे देश के एक वर्ग विशेष में समलैंगिकता को लेकर एक ख़ास नैरेटिव बनाया जा चुका है। हमारा मानना यह है कि विज्ञानवाद के आधार पर एक ऐसे दोष

और नकारात्मक मूल्य को जो एक लंबे समय से सामूहिक नैतिकता (collective morality) में नापसंद रहा है। समलैंगिकता को महज़ एक अपूर्ण और अप्रमाणित वैज्ञानिक परिकल्पना के आधार पर उचित ठहराना एक नैतिक और वैज्ञानिक कदाचार है।

यहां यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि समलैंगिकों के मानवाधिकारों और समलैंगिकों के यौन अधिकारों पर दो अलग-अलग दृष्टिकोणों से चर्चा की गुंजाइश है। हर समझदार व्यक्ति समलैंगिकों के मानवाधिकारों का समर्थन करेगा, लेकिन समलैंगिकों के यौन अधिकारों को महज़ विज्ञानवाद के आधार पर या अनुवांशिक भाग्य (genetic luck) या अनुवांशिक बाध्यता के आधार पर उचित क़रार देना अवैज्ञानिक व्यवहार है। व्यक्तिवाद (individualism) और असीमित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पश्चिमी प्रतिमानों पर अलग से चर्चा की आवश्यकता है। यहां इसका अवसर नहीं है।

चर्चा का सार यह है कि समलैंगिकता के इस प्रकार वैज्ञानिकीकरण ने पूरब और पश्चिम में बड़े पैमाने पर परिवार, पारिवारिक इकाई की पूरी व्यवस्था, उसकी पूरी अवधारणा को बुरी तरह प्रभावित किया है और इसके प्रभाव किसी से छुपे हुए नहीं हैं।

यूरोप व अमेरिका तथा भारत और चीन के बड़े पैमाने पर बिखरते हुए परिवारों से लेकर समलैंगिकता के इस वैज्ञानिकीकरण के परिणामस्वरूप, मानव जाति की विकास दर प्रभावित हो रही है और आगे भी प्रभावित होगी। स्पष्ट रहे कि यहां इस बात से इन्कार नहीं किया जा रहा है कि उपरोक्त गिरावट के कोई अन्य कारण नहीं हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन अगर बहुत गहराई से देखा जाए तो जीवन की अवधारणा ही समग्र रूप से मानव समाज को आकार देती है। यह जीवन अवधारणा ख़ास लोगों से आम जनता तक स्थानांतरित होती है। राज्य से समाज तक आती है और सरकार की नीतियों तथा लोगों पर इसका असर पड़ता है।

अतः यह स्पष्ट हुआ कि विज्ञानवाद ने न केवल सामूहिक नैतिक मूल्यों का वैज्ञानिकीकरण किया, बल्कि इनके महत्व को बहुत हद तक घटा दिया और मजबूरी के तहत इन मूल्यों को धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद (secular humanism) के तहत आवश्यक घोषित किया।

इसलिए, विशेष रूप से पश्चिमी समाज में विज्ञान, धर्म और समाज के इस संवादात्मक त्रिकोण (interactive triangle) में नैतिकता और मूल्यों के लिए विज्ञान का उपयोग धीरे-धीरे विकसित होता हुआ नज़र आता है और हमारे निकट इसकी चरम अभिव्यक्ति सैम हैरिस और उनके समूह के पत्रकार और शोधकर्ता हैं, जिनके अनुसार स्वतंत्र इच्छा (free will) जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि मनुष्य अनुवांशिक बाध्यता और उसके परिवेश पर निर्भर है। उसकी इच्छा और व्यवहार सब इसी अनुवांशिक बाध्यता के परिणाम हैं। ■■

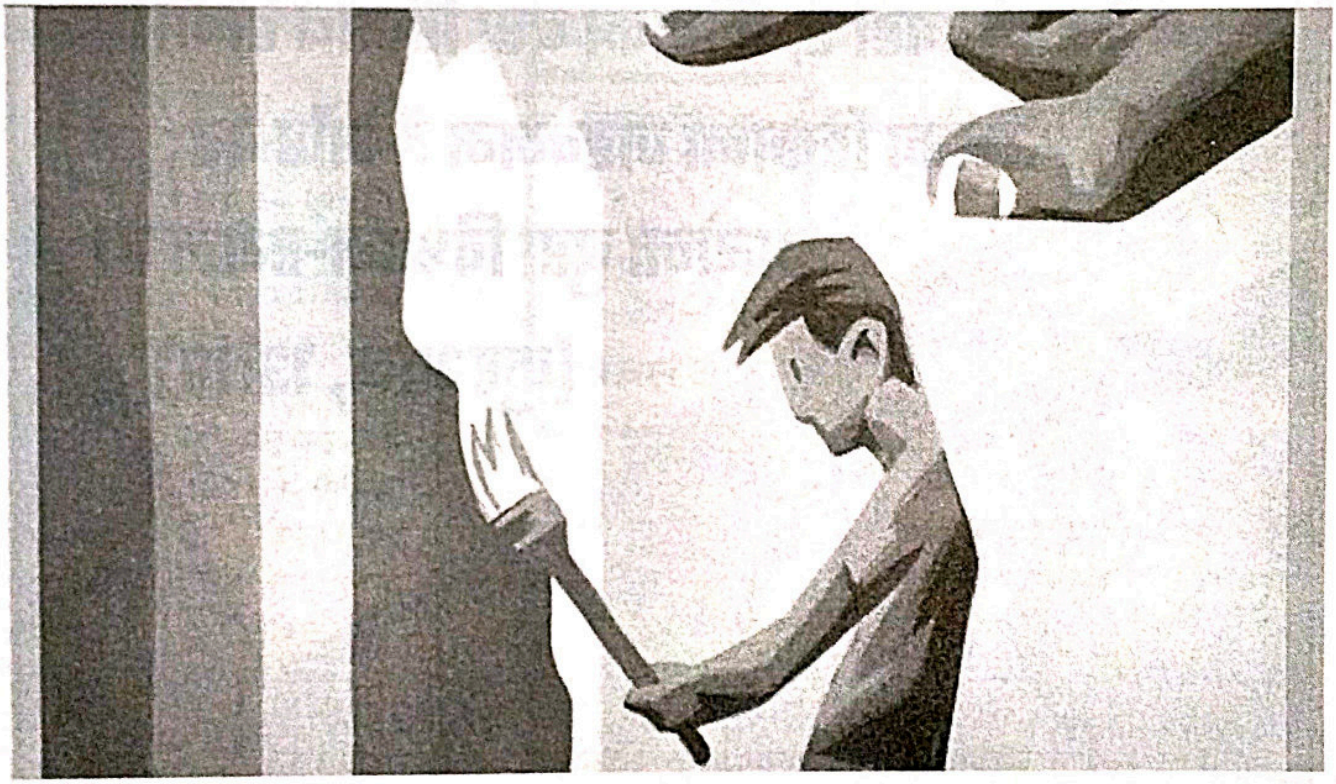

जिन लोगों ने अपने रब का आमंत्रण स्वीकार कर लिया, उनके लिए अच्छा पुरस्कार है। रहे वे लोग जिन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया यदि उनके पास वह सब कुछ हो जो धरती में हैं, बल्कि उसके साथ उतना और भी हो तो अपनी मुक्ति के लिए वे सब दे डालें। वही हैं, जिनका बुरा हिसाब होगा। उनका ठिकाना जहन्नम है और वह अत्यन्त बुरा विश्राम-स्थल है।

(क़ुरआन, 13:18)

A Well Wisher

J.I.H, Salon
Raibareli (UP)

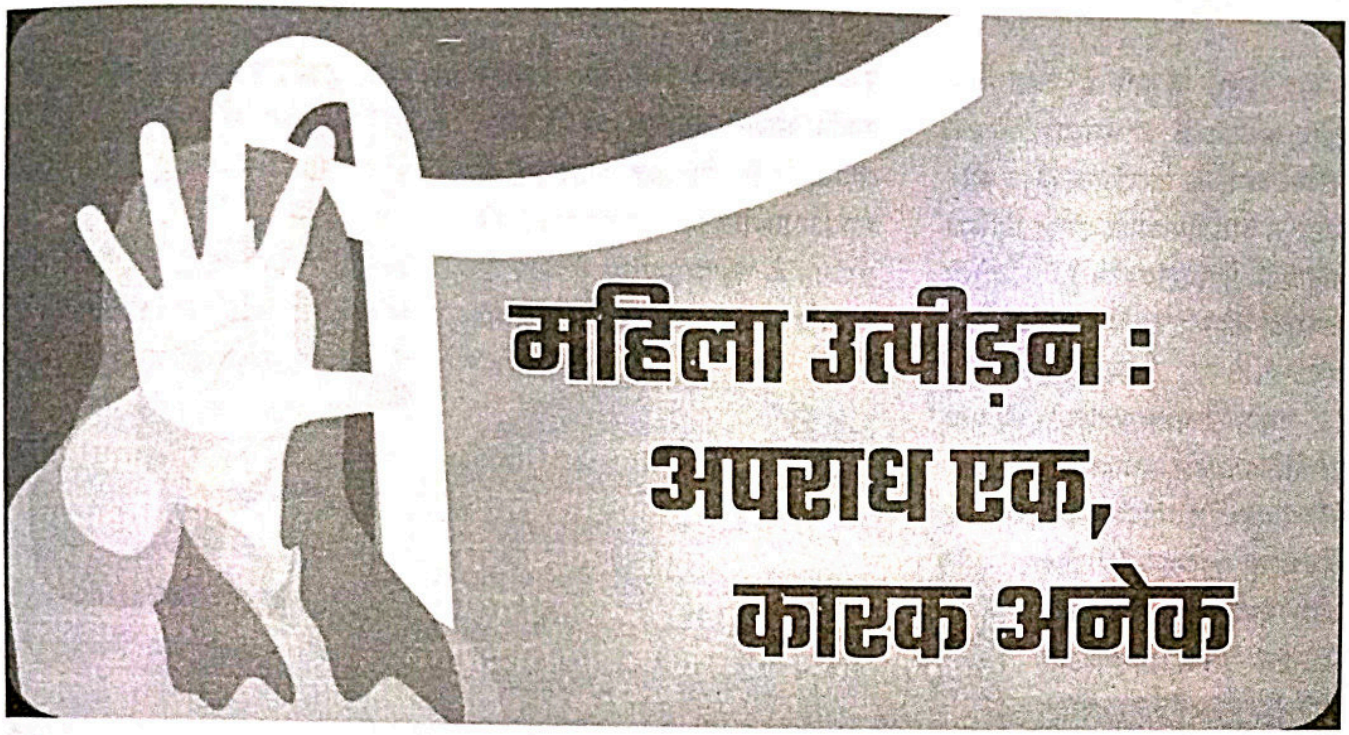

महिला उत्पीड़न : अपराध एक, कारक अनेक

मुख्य स्तम्भ



सुफ़ियान अहमद

कोलकाता के एक अस्पताल में बीते माह जब एक पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली महिला इंटर्न डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया तो देश भर में आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। कोलकाता जैसी क्रूर घटनाओं पर समाज आंदोलित होता रहा है और शासन कठोर क़ानून बनाकर ख़ामोश होता रहा है, लेकिन अपराध जारी रहे।

ऐसा भी नहीं है कि इक्का-दुक्का कभी-कभार ही ऐसे मामले सामने आते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, पिछले वर्ष 4,45,256 महिला विरोधी अपराध दर्ज किए गए। ऐसे अन्य आंकड़े भी मौजूद हैं जो यौन हिंसा एवं महिला उत्पीड़न की भयावह तस्वीर पेश करते हैं। कलकत्ता मामले में सरकार और पुलिस प्रशासन का जो रवैया सामने आया वह बेहद दुखद रहा। वर्तमान समय में हमारे देश में महिला उत्पीड़न की स्थिति बेहद चिंताजनक है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन के प्रयास, गुड टच या बेड टच, चाइल्ड हेल्पलाइन, वुमेन पावर लाइन, चौबीस घंटे चलने वाले सहायक कॉल सेंटर, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, पिंक बूथ, जनपद स्तर पर महिला व बाल सुरक्षा संबंधित प्रकोष्ठ इत्यादि के बावजूद महिला विरोधी अपराध और यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं और उनकी जघन्यता भी। इसलिए आवश्यक है कि इन अपराधों के कारकों पर भी विचार किया जाए।

निर्भया मामले (दिल्ली) के बाद शासन ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रयास किए। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन के प्रयास, गुड टच या बेड टच, चाइल्ड हेल्पलाइन, वुमेन पावर लाइन, चौबीस घंटे चलने वाले सहायक कॉल सेंटर, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, पिंक बूथ, जनपद स्तर पर महिला व बाल सुरक्षा संबंधित प्रकोष्ठ इत्यादि के बावजूद महिला विरोधी अपराध और यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं और उनकी जघन्यता भी। इसलिए आवश्यक है कि इन अपराधों के कारकों पर भी विचार किया जाए।

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ क्रिएटिव रिसर्च थाट्स के अध्ययन के अनुसार, महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित होते हैं। आज के युग में जब सबके पास मोबाइल है, तो घातक अश्लीलता भी सभी तक पहुंच रही है। समस्या और भी विकराल होती जा रही है। बचपन में दुर्व्यवहार का सामना

करना, रिश्तों के बारे में नकारात्मक सोच, भावनाओं पर कमज़ोर नियंत्रण, मादक द्रव्यों के अत्यधिक सेवन, यौन कुंठा या असंतोष आदि कारक विभिन्न अनुपातों में मिलकर महिला विरोधी अपराधों की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि बना सकते हैं।

इसके अलावा स्वतंत्रता के नाम पर नैतिक मूल्यों का पतन, समाज में नैतिक मूल्यों की कमी, महिलाओं को वस्तु मानना, यौन शोषण और दुर्व्यवहार, वेश्यावृत्ति, विवाहेत्तर संबंध, शराब और नशीली दवाओं का बढ़ता उपयोग आदि जैसी समस्याएं महिला उत्पीड़न और शोषण को जन्म देती हैं। शराब की लत, मोबाइल का एक बटन दबाने पर अश्लील फ़िल्मों की उपलब्धता और नैतिक शिक्षा देने वाली संस्थाओं का ग़ायब होना इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है।

दरअस्ल, कोलकाता कांड हो या दूसरे तमाम ऐसे कांड के आरोपियों ने क़बूल किया है कि घटना से पहले उन्होंने सोशल साइट्स पर अश्लील सामग्री देखी थी। कुछ आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्हें इसे रोज़ देखने की लत है। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि यदि आरोपी ने नहीं बताया है तो उसका मोबाइल और लैपटॉप यह कहानी सामने लाए हैं। बात इतनी नहीं है। पिछले कई वर्षों से यही रोना रोया जा रहा है पर ठोस उपाय न सरकार से आए और न समाज से आए। समाज के निरंतर कमज़ोर होने पर मज़बूती के उपाय भी तो समाज के भीतर से ही सुझाने होंगे।

आज के युग में जब सबके पास मोबाइल हैं, तो घातक अश्लीलता भी सभी तक पहुंच रही है। समस्या और भी विकराल होती जा रही है। बचपन में दुर्व्यवहार का सामना करना, रिश्तों के बारे में नकारात्मक सोच, भावनाओं पर कमज़ोर नियंत्रण, मादक द्रव्यों के अत्यधिक सेवन, यौन कुंठा या असंतोष आदि कारक विभिन्न अनुपातों में मिलकर महिला विरोधी अपराधों की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि बना सकते हैं।

हाल में ही जारी केरल की हेमा समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि फ़िल्म उघोग एवं मनोरंजन जगत से जुड़ी महिलाओं की स्थिति भी दयनीय है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफ़एचएस) के आंकड़ों के अनुसार, महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध साल-दर-साल बढ़ रहे हैं।

हमारे समाज में महिलाओं के प्रति गहरे पूर्वाग्रह और भेदभाव की स्थिति ने मामले को और भी जटिल बना दिया है। कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या, गोपालपुर (बिहार) में 14 वर्षीय दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या, उधम सिंह नगर (उत्तराखंड) में एक मुस्लिम नर्स के साथ बलात्कार और हत्या तथा बदलापुर (महाराष्ट्र) के एक स्कूल में दो बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं साबित करती हैं कि हमारे देश में महिलाओं और लड़कियों के प्रति मानसिकता और दृष्टिकोण पर गंभीर आत्म-निरीक्षण की आवश्यकता है।

महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों को व्यक्तिगत मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे रोका जा सकता है और रोका जाना चाहिए। महिलाओं के उत्पीड़न को रोकना राज्य का दायित्व है। यह प्रभावित लोगों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने और

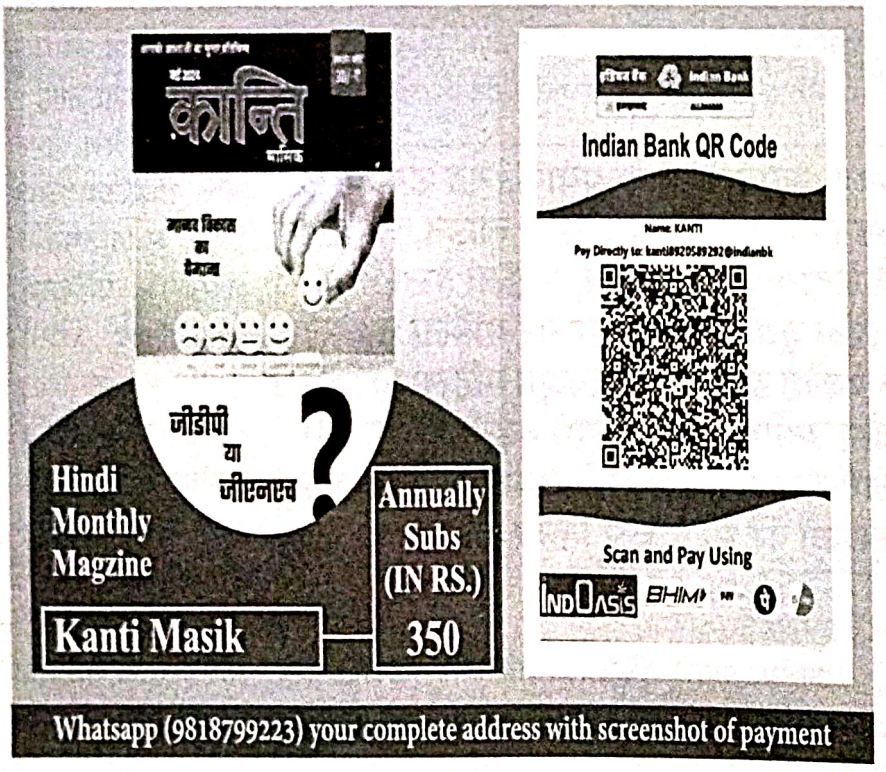

इसके अलावा स्वतंत्रता के नाम पर नैतिक मूल्यों का पतन, समाज में नैतिक मूल्यों की कमी, महिलाओं को वस्तु मानना, यौन शोषण और दुर्व्यवहार, वेश्यावृत्ति, विवाहेतर संबंध, शराब और नशीली दवाओं का बढ़ता उपयोग आदि जैसी समस्याएं महिला उत्पीड़न और शोषण को जन्म देती हैं। शराब की लत, मोबाइल का एक बटन दबाने पर अश्लील फिल्मों की उपलब्धता और नैतिक शिक्षा देने वाली संस्थाओं का ग़ायब होना इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है। अतः ऐसे में समाज और उसके मूल्य की भूमिका महावपूर्ण हो जाती है, नियम-क़ानून से ज़्यादा नागरिक भागीदारी अहम हो जाती है। इस स्थिति में बदलाव के लिए साझा दृष्टकोण, सामूहिक प्रयासों और सकारात्मक सोच के ज़रिये ज़्यादा बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।

इन अपराधों को अंजाम देने वालों को उनके किए के लिए दंड देने के लिए भी बाध्य है। जब तक महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के कारणों पर विचार करने वाली एक समग्र सुसंगत रणनीति नहीं होगी, तब तक अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं किए जा सकेंगे।

किसी भी समस्या का स्थाई समाधान चाहिए तो उनके कारणों को ढूंढकर निदान की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। हमें लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए कार्य करना होगा, दृष्टिकोण में बदलाव विचारों पर निर्भर करता है और हमारे विचार हमारे परिवेश से प्रभावित होते हैं। अतः परिवार व समाज में अच्छी शिक्षा एवं नैतिक मूल्यों के समावेश से एक बेहतर समाज का निर्माण संभव हो सकता है। जिस देश की शिक्षा में मूल्यों, नैतिकता, आध्यात्मिकता का अभाव होगा, वहां युवाओं में भटकाव की पूरी संभावना होती है।

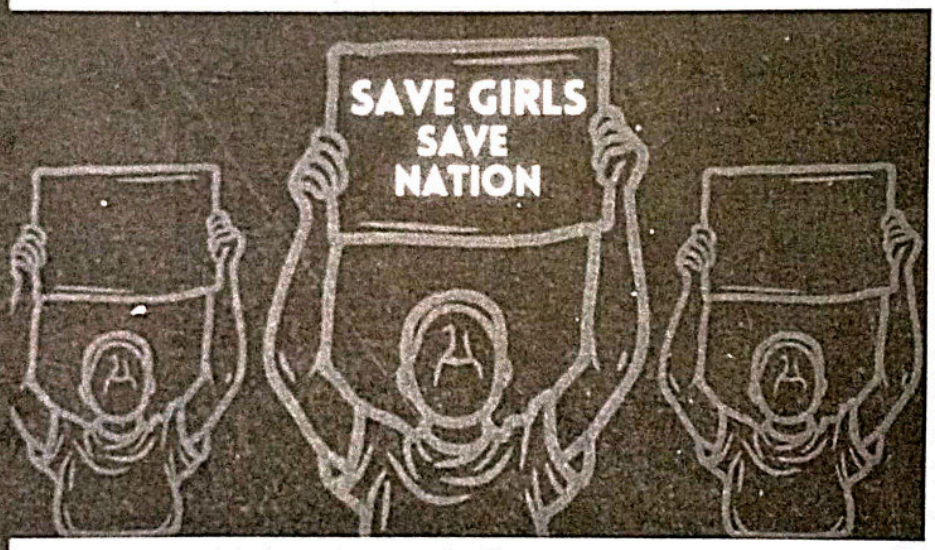

वर्तमान समय में महिला विरोधी अपराधों को रोकने के लिए हमें कई स्तरों पर प्रयास करने की ज़रूरत है। सबसे पहले महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव की शुरुआत स्वयं के परिवार से करनी होगी। परिवार में बहन, बेटी, पत्नी, माता के साथ सम्मानपूर्वक एवं समानता का व्यवहार हो। उत्पीड़न की शिकार पीड़िताओं की मदद करें। यौन उत्पीड़न करने वालों और उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार करें, चाहे वह हमारे रिश्तेदार या मित्र ही क्यों न हों।

याद रहे, रिश्तों, दोस्ती, जाति, राजनीति, विचारधारा, चाहे जिस भी आईने से देखने की कोशिश कीजिए, बलात्कार सिर्फ़ बलात्कार होता है और उसका आरोपी अक्षम्य। बलात्कार जितना दैहिक संत्रास और अपराध है, उतना ही मानसिक संत्रास और अपराध भी। इससे पीड़ित न केवल शारीरिक रूप से हमेशा के लिए बदल जाता है, बल्कि मानसिक रूप से भी हमेशा-हमेशा के लिए बदल जाता है। अनेक पीड़िताएं मनोवैज्ञानिक रूप से पंगु हो जाती हैं। जीवन बोझ बन जाता है। परिवार का संकट भी असहनीय हो जाती है।

अतः ऐसे में समाज और उसके मूल्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, नियम-क़ानून से ज़्यादा नागरिक भागीदारी अहम हो जाती है। इस स्थिति में बदलाव के लिए साझा दृष्टिकोण, सामूहिक प्रयासों और सकारात्मक सोच के ज़रिये ज़्यादा बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। ■■

कान्ति के वे सब्सक्राइबर

जिन्होंने अभी तक अपनी ख़रीदारी की रक़म जमा नहीं की है,

बराय मेहरबानी

इस QR Code

के ज़रिये जल्द अदायगी करें।

Name: KANTI

Pay Directly to: kanti8920589292@indianbk



नोट :

अदायगी के बाद

स्क्रीनशॉट

इस नम्बर पर

(9818799223)

ज़रूर भेजें।



भय के वातावरण में जीती स्त्रियां

हमारे समय का पीड़ादायी सच यह है कि देश में किसी भी आयु वर्ग की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कुत्सित सोच का घेरा, स्कूल-कॉलेज से लेकर घर के आंगन तक हर कहीं बेटियों के आसपास बना हुआ है। कैसी विडंबना है कि शिक्षा के पहले पड़ाव पर ही लड़कियां शोषण का शिकार हो रही हैं और मेहनत के बल पर कुछ बन जाने वाली बेटियां भी। हरियाणा के जींद ज़िले के एक गांव, बंगाल की राजधानी कोलकाता और महाराष्ट्र के बदलापुर में हुई घटनाएं हमारे समाज में स्त्री देह के प्रति मौजूद विकृत सोच को उजागर करती हैं।

ये घटनाएं दिशाहीन सोच की ऐसी बर्बरता की बानगी हैं, जिसमें अपराधी शारीरिक शोषण के बाद स्त्री देह को क्षत-विक्षत करने से भी नहीं चूकते। हरियाणा के जींद ज़िले के एक निजी विद्यालय में प्रधानाचार्य ने बाथरूम में दस साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल

अभिमत



मोनिका शर्मा

में संदिग्ध परिस्थिति में मेडिकल छात्रा का शव बहुत बुरी हालत में मिला, जिस पर यौन हिंसा और प्रताड़ना के गहरे निशान थे।

ग़ौरतलब है कि जींद में चौथी कक्षा की दस वर्षीय छात्रा को स्कूल का प्रधानाचार्य स्कूल का नया भवन दिखाने के बहाने साथ ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। उसके बाद डरा-धमका कर उसे घर भेज दिया। बच्ची ने बताया कि स्कूल प्रिंसिपल उससे पहले भी कई बार छेड़छाड़ कर चुका है। जिससे वह काफ़ी परेशान थी। कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज परिसर में स्नातकोत्तर कर रही छात्रा के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। जांच से पता चला है कि उसे बहुत बुरी तरह और बर्बरता से मारा-पीटा भी गया था।

अभी इन घटनाओं का ग़ुस्सा शांत भी न हुआ था कि महाराष्ट्र के बदलापुर में क़रीब चार वर्ष की दो बच्चियों के यौन शोषण का मामला उजागर हो गया। ये घटनाएं बेटियों की सुरक्षा से जुड़े चिंताजनक हालात और स्त्री देह

के प्रति कुत्सित सोच का पर्दाफ़ाश करती हैं। कैसी विडंबना है कि चार वर्ष की या चौथी कक्षा की छात्रा हो या चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही बेटी, सुरक्षा के मामले में उन्हें नकारात्मक परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। कुत्सित मानसिकता के चलते एक बेटी का जीवन ही छिन गया। दूसरी बच्चियों का मन सदा के लिए भय और वेदना से भर गया।

सवाल है कि आख़िर हमारे परिवेश में क्या बदला है? आज भी स्कूल-कॉलेज से लेकर समाज के हर हिस्से तक, बेटियों का जीवन असुरक्षित है। राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक़ वर्ष 2016 से 2022 तक बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले 96 फ़ीसद बढ़े हैं। घर के आंगन से लेकर कामकाजी दुनिया तक, समानता के लिए जिद्दोजहद कर रही स्त्रियों का जीवन जब पहले ही पड़ाव पर असुरक्षित है, तो भविष्य की रूप-रेखा कैसी होगी?

सवाल है कि आख़िर हमारे परिवेश में क्या बदला है? आज भी स्कूल-कालेज से लेकर समाज के हर हिस्से तक, बेटियों का जीवन असुरक्षित है। इन सभी मामलों को जोड़कर देखा जाए तो समझा जा सकता है कि महिलाओं के अस्तित्व को आंकने-समझने और स्वीकार करने की सोच ही नदारद है। बहुत से लोगों में स्त्री को एक देह से आगे देखने की समझ आज भी नहीं आई है।



इन सभी मामलों को जोड़कर देखा जाए तो समझा जा सकता है कि महिलाओं के अस्तित्व को आंकने-समझने और स्वीकार करने की सोच ही नदारद है। बहुत से लोगों में स्त्री को एक देह से आगे देखने की समझ आज भी नहीं आई है। शिक्षा और सजगता के बावजूद बेटियों के शोषण के मामलों पर लगाम नहीं लग पा रही है। मासूम बच्चियां हों या कामकाजी महिलाएं, भय के घेरे में जीने को विवश हैं। यहां तक कि तकनीक की तरक़्क़ी से मिली सुविधाएं भी शोषण का हथियार बन रही हैं।

हालात ऐसे बन गए हैं कि महिलाएं और लड़कियां हर समय, हर जगह, एक डर से जूझती हैं। सिमटी-सहमी ज़िन्दगी जीती हैं। कोलकाता, बदलापुर और जींद जैसी घटनाएं इस डर को और विस्तार देती हैं। समझना ज़रूरी है कि महिलाओं और लड़कियों पर ही नहीं, उनके परिजनों पर भी ऐसी पीड़ादायी घटनाओं का गहरा असर पड़ता है। स्वयं महिलाएं तो अल्पकालिक और दीर्घकालिक गंभीर शारीरिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक उलझनों से जूझती ही हैं। ऐसी परिस्थितियां समाज के पूरे तानेबाने को प्रभावित करती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि शोषण और दुर्व्यवहार के अधिकतर मामलों में न्यायिक शिथिलता भी देखने को मिलती है।

ग़ौरतलब है कि क़रीब छह वर्ष पहले गृह मंत्रालय द्वारा देश में महिला सुरक्षा के नियमों को शक्तिशाली बनाने के लिए 'महिला सुरक्षा प्रभाग' स्थापित किया गया। इसे समग्र रूप से न्याय के मोर्चे पर सक्रियता और प्रशासन के माध्यम से प्रभावी क़दम उठाने के उद्देश्य से गठित किया गया, ताकि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने और देश की आधी आबादी के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करने में मदद मिल सके। यह मुख्य रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता हेतु नीति निर्माण, आपसी समन्वय, परियोजनाओं और

हाल के वर्षों में तो आर्थिक मोर्चे पर भी महिलाओं ने अहम भूमिका दर्ज कराई है। विज्ञान से लेकर खेल की दुनिया तक बहुत-सी उपलब्धियां हासिल कर देश का मान बढ़ाया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेहतरी की ओर कदम बढ़ाने में जुटी महिलाओं के लिए भय, अविश्वास और असुरक्षा के हालात बने हुए हैं। स्कूल की बच्चियां हों या कामकाजी महिलाएं, मन-जीवन की सहजता के हालात नहीं बन पाए हैं। हमारे देश में आज भी आधी आबादी संविधान में वर्णित सुरक्षा के अधिकार के लिए जूझ रही है।



योजनाओं को लागू करने से जुड़ा प्रभाग है, जिसमें आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाकर फोरेंसिक विज्ञान, अपराध और आपराधिक रिकार्ड के लिए एक सहायक व्यवस्था को मज़बूत बनाना शामिल है। बावजूद इसके, न्यायिक शिथिलता जारी है।

बहुत से मामलों में तो आरोपी को दोषी साबित करना ही कठिन होता है। दुर्दांत अपराधी भी क़ानून के शिकंजे से छूट जाते हैं। ऐसी घटनाएं भी प्रकट हैं, जिनमें व्यवस्था के ढुलमुल रवैए का लाभ उठाकर छूटे अपराधी फिर से बर्बर अपराध कर देते हैं। ऐसे हालात सामाजिक परिवेश और सामुदायिक सहभागिता के भाव को भी ठेस पहुंचाते हैं। पारिवारिक व्यवस्था के लिए मनोवैज्ञानिक आघात होते हैं। अकादमिक और कामकाजी मोर्चे पर स्वयं को साबित करने में जुटी बेटियों और महिलाओं के पांवों की बेड़ी बनते हैं। ग़ौरतलब है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2024 की रिपोर्ट में पिछले वर्ष के मुक़ाबले आपराधिक घटनाओं में आई 0.56 फ़ीसद की मामूली गिरावट के बावजूद देश में बलात्कार के मामलों में 1.1 फ़ीसद और अपहरण की घटनाओं में 5.1 फ़ीसद की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा अपराध दर वाले प्रांतों में उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार शामिल हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के ताज़ा अध्ययन के अनुसार देश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध चिंता का विषय बने हुए हैं। विशेषकर यौन उत्पीड़न और बाल शोषण जैसे अपराध बड़ी समस्या हैं। विचारणीय है कि किसी भी समाज में स्त्रियों और बच्चों की स्थिति वहां की आर्थिक उन्नति और सामाजिक ख़ुशहाली से भी जुड़ी होती है। हाल के वर्षों में तो आर्थिक मोर्चे पर भी महिलाओं ने अहम भूमिका दर्ज कराई है। विज्ञान से लेकर खेल की दुनिया तक बहुत-सी उपलब्धियां हासिल कर देश का मान बढ़ाया है।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेहतरी की ओर क़दम बढ़ाने में जुटी महिलाओं के लिए भय, अविश्वास और असुरक्षा के हालात बने हुए हैं। स्कूल की बच्चियां हों या कामकाजी महिलाएं, मन-जीवन की सहजता के हालात नहीं बन पाए हैं। हमारे देश में आज भी आधी आबादी संविधान में वर्णित सुरक्षा के अधिकार के लिए जूझ रही है। (साभार : जनसत्ता)

अतः सारी प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है
जो आकाशों का रब और धरती का रब,
सारे संसार का रब है।
आकाशों और धरती में बड़ाई उसी के लिए
है, और वही प्रभुत्वशाली, अत्यन्त
तत्वदर्शी है।

(क़ुरआन, 45:36, 37)



with best
compliment
from

Md. Hanif Quraishi Sb.
Harda [MP]

यौन उत्पीड़न के कारकों का कैसे हो दमन ?



समाधान



संपादन प्रभाग

आज हमारे देश में बलात्कार सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला अपराध है। पिछले 20 वर्षों में बलात्कार की घटनाएं दोगुने से भी अधिक हो गयी हैं। आम लोगों के अलावा बड़ी संख्या में विधि-निर्माता, धार्मिक-नेता और बड़े सरकारी अधिकारी इस अपराध में लिप्त हैं। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा आज देश की अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। महिलाएं न अपने घर में सुरक्षित हैं न बाहर। अबोध बच्चियों से लेकर 70 वर्ष की वृद्धा की इज़्ज़त पर हमले हो रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े चौकाते हैं, जबकि अधिकतर मामले तो दर्ज ही नहीं हो पाते।

बलात्कार और यौन अपराध के कुछ ही मामले अदालत तक पहुंच पाते हैं और जो पहुंचते हैं, उनमें भी न्यायिक जटिलताओं के कारण अपराधियों को बहुत कम मामलों में सज़ा मिल पाती है। सच्चाई यह है कि बलात्कार की घटनाओं की रोक-थाम के लिए कितना ही सख़्त क़ानून बना लिया जाए, उससे अपराध को पूरी तरह रोकना संभव नहीं। बल्कि इसके लिए आवश्यक यह है कि पहले समाज को पवित्र बनाने के उपाय किये जाएं। लोगों को ग़लत कामों पर उभारने और अपराध की ओर ले जाने के जो कारक हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। अगर अपराध के सभी कारकों को इसी तरह रहने दिया जाए और सख़्त से सख़्त क़ानून पारित कर लिया जाए तो इससे अपराध में तो कोई कमी नहीं आएगी, उल्टा क़ानून के ग़लत इस्तेमाल की राहें खुल जाएंगी। अदालतों के भारी ख़र्चे के कारण, यह डर भी बना रहेगा कि अपना बचाव करने में असमर्थ ग़रीब लोग सज़ा पा जाएं और पैसे वाले लोग अपनी पहुंच और प्रभाव का इस्तेमाल करके सज़ा से बचे रहें।

आज यौन अपराधों के तेज़ी से बढ़ने और इसकी जघन्यता को हल्के में लेने का एक कारण यह भी है कि सभ्य समाज ने बलात्कार और व्यभिचार को अलग-अलग कर दिया है। आज की दुनिया में बलात्कार को तो अपराध माना जाता है, लेकिन व्यभिचार को नहीं। आज व्यभिचार को सामाजिक और क़ानूनी स्वीकृति प्राप्त है, सच्चाई यह कि अपराध चाहे ज़बरदस्ती से हो या आपसी सहमति से समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभाव बराबर ही होते हैं।

बढ़ते महिला विरोधी अपराध

और मानव निर्मित क़ानूनों की बेबसी समाज के प्रबुद्ध वर्ग को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इस समस्या का कोई स्थायी समाधान है? निश्चित रूप से है, और वह है ईश्वर की बनायी हुई व्यवस्था। ईश्वर ने मनुष्य को दुनिया में भेजा, तो क़दम-क़दम पर उसके मार्गदर्शन की व्यवस्था की है। मानव जाति के पास ईश्वर का अंतिम मार्गदर्शन इस्लाम के रूप में मौजूद है। मनुष्य में यौन-इच्छा स्वाभाविक है। इस्लाम न तो इसे अस्वाभाविक रूप से दबाने और कुचलने की प्रेरणा देता है और न ही इसकी स्वच्छंद पूर्ति की छूट देता है। इस्लाम का दृष्टिकोण दोनों अतियों के बीच है। हर इन्सान को अपनी यौन-इच्छा पूरी करने का अधिकार है, लेकिन विवाह से परे किसी भी प्रकार के यौन संबंध वर्जित हैं। उसने पुरुषों और महिलाओं दोनों को सख़्ती से प्रतिबंधित किया कि वे विवाह के सिवा किसी तरह का यौन संबंध न रखें।

ईश्वर ने व्यभिचार (स्त्री व पुरुष की रज़ामंदी से बनाया गया शारीरिक संबंध) को एक गंभीर सामाजिक अपराध क़रार दिया है और इसे घिनौना कर्म कहते हुए इससे दूर रहने का आदेश दिया है–

"व्यभिचार के निकट भी न जाओ निस्संदेह वह बड़ी ही निर्लज्जता की बात है और बड़ी बुराई का चलन है।"

(क़ुरआन, 17:32)

आज यौन अपराधों के तेज़ी से बढ़ने और इसकी जघन्नता को हल्के में लेने का एक कारण यह भी है कि सभ्य समाज ने बलात्कार और व्यभिचार को अलग-अलग कर दिया है। आज की दुनिया में बलात्कार को तो अपराध माना जाता है, लेकिन व्यभिचार को नहीं। आज व्यभिचार को सामाजिक और क़ानूनी स्वीकृति प्राप्त है, सच्चाई यह है कि अपराध चाहे ज़बरदस्ती से हो या आपसी सहमति से समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभाव बराबर ही होते हैं।

ईश्वर द्वारा निर्धारित जीवन शैली में व्यक्ति के लिए यौन सुख प्राप्त करने के साथ समाज की पवित्रता बनाए रखने के लिए कई उपाय सुझाये गये हैं। ये उपाय लोगों को अपराध करने से रोकते हैं और यौन अपराधों के सभी संभावित दरवाज़ों को बंद करते हैं। उसके अनुसार, पुरुषों और महिलाओं दोनों को आदेश दिया

❊ अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो जबकि वो तुम्हें बुलाते हैं उस चीज़ की तरफ जिसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। (क़ुरआन) ❊ उस शख़्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाये और नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। (क़ुरआन)



हिन्दुस्तान के मशहूर दीनी-इल्मी, फिक्री और म्यारी अख़बार व रसाइल (पत्रिकाओं) का मुताला(अध्ययन)कीजिए

इस सिलसिले में हमारी ख़िदमात हासिल कीजिए :

पेपर – पत्रिका	प्रति कापी	सालाना खरीददारी
✪ कान्ति साप्ताहिक अख़बार	7/-	350/-
✪ कान्ति मासिक पत्रिका	30/-	350/-
✪ दावत उर्दू अख़बार साप्ताहिक	15/-	750/-
✪ जिंदगी–ए–नौ उर्दू महाना	35/-	400/-

सालाना खरीददारी व ग्राहक बनने के लिए राब्ता करें :

मुहम्मद शहज़ाद (उत्तर प्रदेश), मोबाइल नं। : 9808080806

गया है कि वे अपनी नज़र और अपनी आबरू की रक्षा करें। साथ उन चीज़ों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए जो दुष्कर्म पर उभारने वाली और पुरुषों और महिलाओं में यौन भावनाएं पैदा करने वाली हैं। जैसे–

शराब : इस्लाम ने शराब को हराम (वर्जित) ठहराया है, इसलिए कि शराब से व्यक्ति की यौन भावनाएं उत्तेजित होती हैं और रिश्तों का अंतर मिट जाता है।

अश्लीलता : इसी तरह समाज में अश्लीलता के प्रसार की अनुमति कदापि नहीं होनी चाहिए। वे सभी चीज़ें प्रतिबंधित होनी चाहिए जिनके माध्यम से अश्लीलता और नग्नता फैलती है। वर्तमान समय में, समाज में अश्लीलता और नग्नता को फैलाने वाली बहुत सारी चीज़ें आ गयी हैं। जैसे कि पोर्न फ़िल्में, नग्न पोस्टर और विज्ञापन, अश्लीलता फैलाने वाली पत्रिकाएं, इंटरनेट पर पोर्नोग्राफ़ी की वेबसाइट्स इत्यादि। स्मार्ट फ़ोन ने अश्लील सामग्री तक आम आदमी की पहुंच बहुत आसान कर दी है।

समाज के लिए इन चीज़ों का घातक होना एक खुली सच्चाई है, लेकिन चूंकि इन्होंने एक उद्योग का रूप ले लिया है और इनसे सरकार को और संपन्न वर्ग को मोटी आमदनी होती है, इसलिए इनकी घातकता को अनदेखा करके इन्हें ख़ूब बढ़ावा दिया जा रहा है। समाज में अगर ये सारे उपाय अपनाये गये तो निश्चित रूप से दुष्कर्म और महिला विरोधी अपराधों की घटनाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी, लेकिन समाज में कुछ गिने-चुने लोग ऐसे हो सकते हैं, जो इन सबके बावजूद दुष्कर्म में लिप्त हो जाएं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए सख़्त क़ानून ज़रूरी है जिसके तहत अपराधियों के लिए दर्दनाक सज़ा का प्रावधान हो।



ईश्वर ने व्यभिचार (स्त्री व पुरुष की रज़ामंदी से बनाया गया शारीरिक संबंध) को एक गंभीर सामाजिक अपराध क़रार दिया है और इसे घिनौना कर्म कहते हुए इससे दूर रहने का आदेश दिया है-

"व्यभिचार के निकट भी न जाओ निस्संदेह वह बड़ी ही निर्लज्जता की बात है और बड़ी बुराई का चलन है।" (क़ुरआन, 17:32)

इस्लामी क़ानून के अनुसार, व्यभिचारी/व्यभिचारिणी को 100 कोड़े मारे जाएं। इस्लाम अपने मानने वालों को यह शिक्षा देता है कि अगर उन्होंने भूलवश या अपनी इच्छाओं के हाथों मजबूर होकर यह गुनाह कर दिया है तो वे ख़ुद को क़ानून के हवाले कर दे और दुनिया में ही इस गुनाह की सज़ा भुगत लें, ताकि आख़िरत (परलोक) में ईश्वर उन्हें क्षमा कर दे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और दुनिया में ख़ुद को व्यभिचार की सज़ा से बचा लिया तो मरने के बाद उन्हें हमेशा के लिए नर्क की आग में झोंक दिया जाएगा।

समाज को पवित्र रखने के लिए ये शिक्षाएं केवल वैचारिक नहीं हैं, बल्कि इन्हें लागू किया जा चुका है और दुनिया ने अपनी खुली आंखों से इसे देखा है। इस्लाम के उदय से पहले अरब समाज हर तरह की बुराइयों में डूबा हुआ था, इन शिक्षाओं के कारण उनके जीवन पवित्र हो गये और उनका समाज पवित्र हो गया। आज भी जिन देशों में इस्लामी शरीअत का क़ानून लागू है, वहां बलात्कार तो दूर व्यभिचार की घटनाएं भी इतनी कम हैं कि वे प्रतिशत में नहीं आतीं। यही वजह है कि जब हमारे देश में भी बलात्कार की कोई दिल दहला देने वाली घटना घटित होती है तो चारों ओर से बलात्कारियों के लिए कठोर दंड की मांग की जाने लगती है।

जो लोग समाज में बुराइयों को पनपता देखकर चिंतित हैं, उन्हें व्यक्ति और समाज को पवित्र बनाने के इस्लाम द्वारा सुझाए उपायों को अपनाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ■■

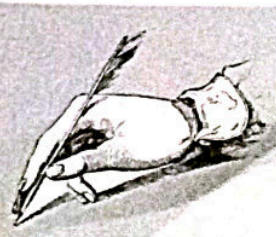

कविता

विफल प्रयत्न हुए सारे, मैं हारी निष्ठुरता जीती

सुभद्राकुमारी चौहान

विफल प्रयत्न हुए सारे,
मैं हारी, निष्ठुरता जीती।
अरे न पूछो, कह न सकूंगी,
तुमसे मैं अपनी बीती।

नहीं मानते हो तो जा
उन मुकुलित कलियों से पूछो।
अथवा विरह विकल घायल-सी
भ्रमरावलियों से पूछो।

जो माली के निठुर करों से
असमय में दी गईं मरोड़।
जिनका जर्जर हृदय विकल है,
प्रेमी मधुप-वृंद को छोड़।

सिंधु-प्रेयसी सरिता से तुम
जाके पूछो मेरा हाल।
ि मिलन-पथ पर रोका हो,
कहीं किसी ने बाधा डाल।

बर्बरता पर ब्रेक



सर्वोच्च न्यायालय ने देर से ही सही, लेकिन बुलडोज़र चलाने की घटिया प्रथा के ख़िलाफ़ जो तीखी टिप्पणी की, वह स्वागत योग्य है। कथित मुजरिमों के घरों पर बुलडोज़र चलाने की वैधता के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख़ दिखाता है कि प्रशासनिक तंत्र को क़ानूनी प्रक्रियाओं के निर्वाह के दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन के साथ एक खंडपीठ की अगुवाई कर रहे न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने टिप्पणी की कि "क़ानून किसी के भी घर को महज़ इसलिए गिराये जाने की इजाज़त नहीं देता कि वे किसी मामले में आरोपी है, और यह किसी दोषी के मामले में भी नहीं किया जा सकता।"

किसी आरोपी का अपराध सिद्ध हो जाने के उपरान्त क़ानून द्वारा तय किए गए दंड के अनुसार ही उसे दंडित किया जा सकता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अलग-अलग राज्यों में आरोपियों और अपराधियों के ख़िलाफ़ की जा रही बुलडोज़र कार्रवाई को जब महिमामंडित किया जाने लगा और इसे राजनीति में दबदबे का पर्याय बनाया जाने लगा तो कई तरह के सवाल खड़े हो गए।

समसामयिक



डॉ. प्रदीप कुमार

यह कैसी विडम्बना है कि निर्माण की जगह विध्वंस के प्रतीक हमारी राजनीति में हावी हो रहे हैं। ख़ासकर भाजपा शासित राज्यों में, जहां क़ानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस और अदालत की कार्रवाई को दरकिनार करते हुए सीधे फ़ैसला सुना देने की नयी परंपरा तैयार की जाने लगी है। ये स्थिति न्यायतंत्र का मखौल और हमारे लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है।

सवाल जहां तक क़ानून व्यवस्था का है, तो इसे भाजपा, कांग्रेस या किसी अन्य दल की सत्ता के दायरे से ऊपर उठते हुए एक अनिवार्यता की तरह लागू किया जाना चाहिए, लेकिन संविधान की जगह देश में बुलडोज़र संस्कृति का महिमामंडन अनुचित है। बदले की भावना, सबक़ सिखाने की उत्सुकता और ज़मीदोज़ करने की व्याकुलता के कारण हमारे न्यायतंत्र का देश और दुनिया में मज़ाक़ बनता जा रहा है। राजनीतिक विरोधियों को ख़ामोश करने या समुदाय विशेष को सबक़ सिखाने के नाम पर की जाने वाली यह कार्रवाई देश की लोकतांत्रिक संरचना के लिए ख़तरनाक है।

आज क़ानून का मज़ाक़ बनते हुए देखकर जो लोग इसलिए ख़ुश हो रहे हैं कि पीड़ित, वर्ग विशेष से हैं तो उनको यह समझना चाहिए कि जब क़ानून का राज ही नहीं रहेगा तो उनके अधिकारों का हनन भी उसी मंशा के साथ होगा

और वे कुछ नहीं कर सकेंगे। जब देश में बदले की भावना से कार्रवाई की जाने लगेगी तो देश का अस्तित्व ख़तरे में पड़ जाएगा, देश में अराजकता फैल जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में अदालतों का रवैया भी काफ़ी निराशाजनक रहा है, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय की ताज़ा टिप्पणी से यह विश्वास जगा है कि बतौर संविधान का रक्षक वह न्याय को स्थापित करेगा और अदालत के हस्तक्षेप से प्रशासन की बर्बरता पर ब्रेक लगेगा।

राजनीतिक व धार्मिक प्रतिरोध और बदले की भावना से घरों पर दौड़ते बुलडोज़रों ने वास्तव में हमारे देश के न्यायतंत्र का मज़ाक़ उड़ाया है। क़ानून के अनुसार, न्यायिक प्रक्रिया के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और दोषी व्यक्ति को सज़ा भी क़ानून के अनुसार न्यायालय ही तय करेगा। भारतीय अदालतों द्वारा स्वतः संज्ञान की कार्रवाई न्यायपालिका की सक्रियता का प्रतिबिंब है। लोकतंत्र का प्रहरी होने के नाते राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी यह पूरा अधिकार है कि वे बेलगाम हो चुकी सरकारों को क़ानून की धज्जियां न उड़ाने दें।

विगत वर्षों में विरोध के स्वर को दबाने के लिए विध्वंस का जो तरीक़ा

आवास और भूमि अधिकार संगठन (एचएलआरएन) का अनुमान है कि स्थानीय, राज्य और केंद्र सरकार ने 2022 और 2023 में 1.53 लाख घरों को बुलडोजर से ढहाया, जिसके चलते गांव, देहात और शहर में लगभग 7.38 लाख लोग बेघर हो गए। आख़िर किसी आरोपी का घर, दुकान या होटल अचानक अवैध कैसे हो जाता है? एक ही दिन में कथित अवैध निर्माण ढहाए जाने की सारी प्रक्रियाएं भी कैसे पूरी कर ली जाती हैं? सज़ा देना न्यायालय का काम होना चाहिए। हां, सज़ा कड़ी से कड़ी हो, इसके लिए क़ानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है। यदि हम क़ानून पर भरोसा नहीं करेंगे, तो बेलगाम भीड़, अराजक विचार और अवैध गोली की चपेट में वह आबादी भी आएगी, जिसे लगता है कि बहुसंख्यक होने के नाते वह वह सुरक्षित है।



अपनाया गया वह लोकतंत्र और क़ानून के शासन का गला घोंटने जैसा है। जब देश के दो बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुलडोज़र नीति मानो संविधान से ऊपर हो गई हो तो देश में संविधान के अनुरूप न्याय और समानता स्थापित करने के लिए न्यायपालिका को आगे आना ही होगा।

हमारी संवैधानिक संस्थाओं का उद्देश्य देश में क़ानून का राज स्थापित करना है। क़ानून का तक़ाज़ा यह है कि आरोपियों को भी सफ़ाई का मौक़ा मिलता है। बिना उचित प्रक्रिया के यह अनुमति किसी को नहीं है कि एक घर को ध्वस्त कर दिया जाए। यह कोई तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि क़ानून के शासन का सवाल है।

उल्लेखनीय है कि सांप्रदायिक हिंसा के बाद नूंह में किए गए विध्वंस पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने तीखे सवाल पूछे थे। जवाब में हरियाणा प्रशासन ने एक हलफ़नामे में कहा था कि विध्वंस से प्रभावित लोगों में से 79.9 प्रतिशत मुस्लिम थे। यह पैटर्न पूरे देश में दोहराया जाता रहा।

पिछले दो वर्षों में, मध्य प्रदेश के मंदसौर और खरगोन, गुजरात के साबरकांठा और खंभात, दिल्ली के जहांगीरपुरी, यूपी के प्रयागराज, कानपुर और सहारनपुर में सांप्रदायिक झड़पों या हिंसा के बाद आरोपी व्यक्तियों के घरों को तेज़ी से ध्वस्त कर दिया गया। इनमें से ज़्यादातर घर मुसलमानों के थे।

पटना हाईकोर्ट ने पहले ही इस दिशा में एक क़दम उठाया है, जिसमें मुख्य सचिव को कुछ अवैध तोड़फोड़ के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने और उनके ख़िलाफ़ उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इसे और आगे ले जाने की ज़रूरत है।

न्यायालय को अपनी खुद एक नज़ीर पेश करते हुए अपने अधिकारों की शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसे अवैध तोड़फोड़ के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों को जेल भेजने, दोषी अधिकारियों के वेतन से उस व्यक्ति को मुआवज़ा देने और बर्खास्तगी की कार्यवाही शुरू करने की ज़रूरत है। अब न्यायालय की ठोस कार्रवाई ही अधिकारियों और उनके बेशर्म राजनीतिक आकाओं को लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने से पहले दो बार सोचने पर मजबूर कर सकती है।

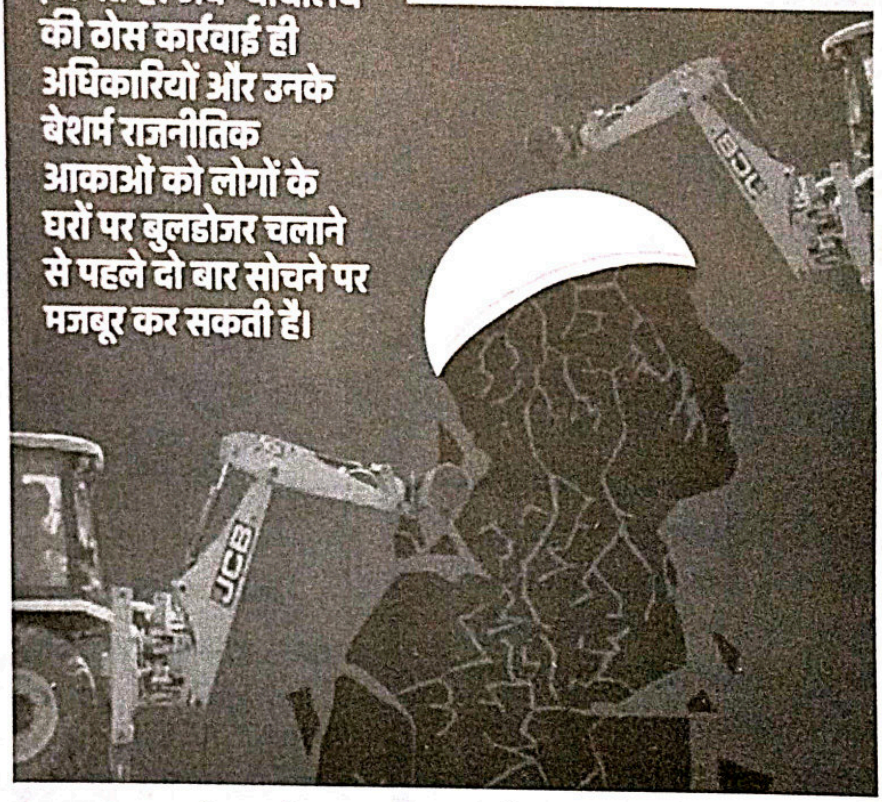

न्यायालय को अपनी ख़ुद एक नज़ीर पेश करते हुए अपने अधिकारों की शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसे अवैध तोड़फोड़ के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों को जेल भेजने, दोषी अधिकारियों के वेतन से उस व्यक्ति को मुआवज़ा देने और बर्ख़ास्तगी की कार्यवाही शुरू करने की ज़रूरत है।

अब न्यायालय की ठोस कार्रवाई ही अधिकारियों और उनके बेशर्म राजनीतिक आकाओं को लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलाने से पहले दो बार सोचने पर मजबूर कर सकती है।

आवास और भूमि अधिकार संगठन (एचएलआरएन) का अनुमान है कि स्थानीय, राज्य और केंद्र सरकार ने 2022 और 2023 में 1.53 लाख घरों को बुलडोज़र से ढहाया, जिसके चलते गांव, देहात और शहर में लगभग 7.38 लाख लोग बेघर हो गए। आख़िर किसी आरोपी का घर, दुकान या होटल अचानक अवैध कैसे हो जाता है? एक ही दिन में कथित अवैध निर्माण ढहाए जाने की सारी प्रक्रियाएं भी कैसे पूरी कर ली जाती हैं?

सज़ा देना न्यायालय का काम होना चाहिए। हां, सज़ा कड़ी से कड़ी हो, इसके लिए क़ानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है। यदि हम क़ानून पर भरोसा नहीं करेंगे, तो बेलगाम भीड़, अराजक विचार और अवैध गोली की चपेट में वह आबादी भी आएगी, जिसे लगता है कि बहुसंख्यक होने के नाते वह वह सुरक्षित है। ■■

मणिपुर : आग की अनदेखी क्यों ?



मंथन

जितेंद्र गौतम

सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वहां घटनाओं की जांच और राज्य पुलिस की कार्रवाइयों आदि पर नज़र रखने के लिए एक दल गठित कर दिया, मगर राज्य सरकार के सहयोग के अभाव में उसके सकारात्मक नतीजे आने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

पिछले क़रीब डेढ़ साल से अशांत चल रहे मणिपुर में सुलग रही हिंसा अब गृहयुद्ध की आग में बदलती जा रही है। वहां के मैतेई और कुकी समुदाय के बीच चल रहे ख़ूनी संघर्ष में अब ड्रोन और राकेट जैसे अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों का उपयोग होने लगा है। वहां ख़तरनाक ड्रोन और राकेट से हमले होने लगे हैं। यह स्थिति डबल इंजन सरकार की तार्किकता को ख़ारिज करती है।

एक राज्य में जारी हिंसा का इतना लंबा दौर बीत जाने के बाद भी उसे रोकने में राज्य एवं केंद्र सरकार की विफलता समझ से परे है। आख़िर एक सरकार अपने नागरिकों को आपस में लड़-भिड़ कर मरते-खपते कैसे देख सकती है? ऐसा कैसे संभव हो सका कि इन समुदायों के पास अत्याधुनिक हथियार पहुंचने लगे और सरकार उन पर रोक लगाने में विफल साबित हो गई?

मणिपुर के जिन इलाक़ों में सबसे अधिक हिंसा हो रही है? सरकार ने वहां सुरक्षाबलों की तैनाती क्यों नहीं बढ़ाई। चरमपंथी संगठन एक-दूसरे पर गोलीबारी करने में कैसे सफल हो जाते हैं? मणिपुर की हिंसा जगज़ाहिर है, इसके बावजूद अगर सरकार इस पर क़ाबू पाने का प्रयास करती नहीं दिख रही, तो स्वाभाविक ही उसकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं।

इस समस्या पर केंद्र सरकार की चुप्पी भी आश्चर्यजनक है। हमारे प्रधानमंत्री रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए सक्रिय नज़र आ सकते हैं, तो

मणिपुर की हिंसा को लेकर कोई पहल करते क्यों नहीं दिखते? मणिपुर पर चुप्पी और शिथिलता न केवल उस राज्य की तबाही के लिए ज़िम्मेदार साबित हो रही है, बल्कि भविष्य में इससे बड़े ख़तरे पैदा होने की आशंका भी गहरी होती है।

अभी तक ऐसा एक भी संकेत नज़र नहीं आता, जिससे पता चले कि सरकार मणिपुर में हिंसा रोकने को लेकर गंभीर है। लगभग डेढ़ साल बाद भी वहां कुकी और मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष जारी है। इन समूहों के उग्रवादी संगठन लक्षित हिंसा करने लगे हैं। वे पहले दूसरे समूह के लोगों के घरों को चिह्नित करते हैं और फिर हमला कर देते हैं। समझना मुश्किल है कि मणिपुर में सक्रिय उग्रवादियों की गतिविधियों पर नज़र रखना इतना मुश्किल क्यों बना हुआ है और वे कैसे अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं?

छिपी बात नहीं है कि मणिपुर का सारा संघर्ष सरकार की शिथिलता की वजह से पैदा हुआ है। शुरू में ही अगर सरकार ने दोनों समुदायों के बीच पैदा हुई ग़लतफ़हमी को दूर करने का प्रयास किया होता, तो वैमनस्यता की आग इस हद तक न भड़कने पाती। मगर सरकार ने न तो बातचीत की पहल की और न उपद्रवियों पर क़ाबू पाने की कोशिश। यही वजह है कि पिछले वर्ष शुरू हुई हिंसा के बाद कई थानों और शस्त्रागारों से हथियार लूट लिए गए और उनका हिंसा में इस्तेमाल होता रहा।

पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने, उनसे बलात्कार और उनकी हत्या तक की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई में तत्परता नहीं दिखाई गई। अब तक दो सौ से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। हज़ारों लोग अपना घर-बार छोड़कर

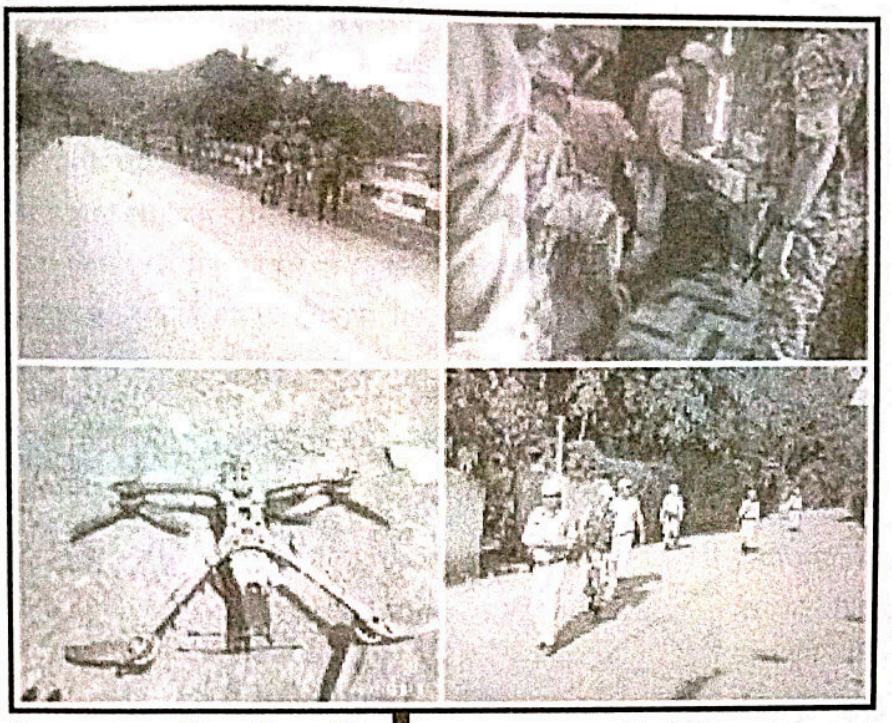

कम आबादी वाले कुकी समूह को राजधानी दिल्ली से लेकर देश के हर मीडिया में उग्रवादी लिखा जा रहा है और बहुसंख्यक मैती प्रदर्शनकारी कहे जा रहे हैं। हक़ीकत यह है कि वहां जारी हिंसा का ख़ामियाज़ा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।राज्य में दो समुदायों के अलावा भी लोग रहते हैं। नगा और नेपाली आबादी भी रहती है, लेकिन सबका जीवन दूभर हो गया है। इन दोनों समुदायों के भी हज़ारों लोग शरणार्थी शिविरों में हैं, जिनका जीवन कठिन परिस्थितियों में गुज़र रहा है।

शिविरों में रहने को मजबूर हैं। हज़ारों घर और पूजा स्थल तोड़-फोड़-जला दिए गए। इतना कुछ हो जाने के बाद अगर राज्य सरकार सक्रिय नहीं हुई, तो यह हैरानी का विषय है।

मणिपुर के मामले में केंद्र सरकार का रवैया भी शुरू से सवालों के घेरे में रहा है। जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, उनसे छोटी-सी घटना पर भी केंद्रीय गृह मंत्रालय तुरंत जवाब तलब कर लेता है, मगर मणिपुर के मामले में मौन साधे हुए ही दिखता रहा है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि अगर केंद्र सरकार चाहे, तो वह मणिपुर जैसे छोटे राज्य में हिंसा को नहीं रोक सकती, लेकिन वह लगातार समस्या की अनदेखी करती रही।

अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए वहां घटनाओं की जांच और राज्य पुलिस की कार्रवाइयों आदि पर नज़र रखने के लिए एक दल गठित कर दिया, मगर राज्य सरकार के सहयोग के अभाव में उसके सकारात्मक नतीजे आने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

राज्य में इस समय जातीय विभाजन

हद से ज़्यादा बढ़ गया है। कुकी और मैती दोनों अपनी पहचान उजागर करके एक-दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। दोनों एक-दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौक़ा नहीं चूक रहे हैं। यह अलग बात है कि कम आबादी वाले कुकी समूह को राजधानी दिल्ली से लेकर देश के हर मीडिया में उग्रवादी लिखा जा रहा है और बहुसंख्यक मैती प्रदर्शनकारी कहे जा रहे हैं। हक़ीक़त यह है कि वहां जारी हिंसा का ख़ामियाज़ा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

राज्य में दो समुदायों के अलावा भी लोग रहते हैं। नगा और नेपाली आबादी भी रहती है, लेकिन सबका जीवन दूभर हो गया है। इन दोनों समुदायों के भी हज़ारों लोग शरणार्थी शिविरों में हैं, जिनका जीवन कठिन परिस्थितियों में गुज़र रहा है। हज़ारों बच्चों की पढ़ाई- लिखाई बंद हो गई है। समय के साथ हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य के कई ज़िलों में कर्फ़्यू लगा हुआ है और कई ज़िलों में इंटरनेट बंद है। स्कूलों, कॉलेजों में परीक्षाएं होनी हैं, जिन्हें स्थगित कर दिया गया है।

इस समय कुकी और मैती का झगड़ा ख़त्म कराने का तरीक़ा यह है कि नेतृत्व तटस्थ हाथों में दिया जाए। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्यपाल के हाथ में एकीकृत कमान सौंपी जाए। तभी तटस्थ और निरपेक्ष होकर विवाद सुलझाने की पहल हो सकेगी।

आख़िर कब तक एक राज्य के नागरिकों को हिंसा, विस्थापन तथा सामान्य जीवन पर उपजे संकट की अनदेखी की जा सकती है? निस्संदेह, मणिपुर की हिंसा का देश-दुनिया में कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। सरकारें राजधर्म का पालन करते नहीं दिखतीं। मणिपुर के मुद्दे पर उदासीनता तथा निष्क्रियता से उग्रवादियों को जड़ें जमाने का मौक़ा मिल रहा है। जो भविष्य में घातक साबित हो सकता है, क्योंकि ये हिंसा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी असर दिखा सकती है।



यदि वहां तत्काल प्रभावी क़दम नहीं उठाए गए तो स्थिति हाथ से निकल सकती है। ऐसे किसी अभियान की सफलता के लिए अगर राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता हो तो उससे भी संकोच नहीं किया जाए। मणिपुर दिल्ली से दूर अवश्य है, लेकिन वहां शांति और मजबूत पकड़ भारत के सामरिक हितों की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः निश्चित रूप से मैतई व कुकी समुदायों में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिये बातचीत शुरू करने की ज़रूरत है। संघर्षरत पक्षों को बातचीत की मेज़ पर लाने की भी कोशिश नए सिरे से होनी चाहिए।

यदि वहां तत्काल प्रभावी क़दम नहीं उठाए गए तो स्थिति हाथ से निकल सकती है। ऐसे किसी अभियान की सफलता के लिए अगर राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता हो तो उससे भी संकोच नहीं किया जाए। मणिपुर दिल्ली से दूर अवश्य है, लेकिन वहां शांति और मज़बूत पकड़ भारत के सामरिक हितों की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः निश्चित रूप से मैतई व कुकी समुदायों में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिये बातचीत शुरू करने की ज़रूरत है। संघर्षरत पक्षों को बातचीत की मेज़ पर लाने की भी कोशिश नए सिरे से होनी चाहिए। ■■

गांधी जयंती पर विशेष

गांधी से नफ़रत या गांधी से डर ?



जब भी मैं निराश होता हूं, मुझे याद आता है कि समूचा इतिहास यही बताता है कि हमेशा सत्य और प्रेम का तरीक़ा ही जीता है। तानाशाह और हत्यारे रहे हैं, और कुछ वक़्त तक, वह अजेय भी दिखते रहे हैं, मगर अंत में वह शिकस्त पाए हैं। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए-हमेशा।

विशेष



सुभाष गताडे

गांधी की हत्या हुए 75 साल बीत चुके हैं। कहते हैं कि मृत्यु के बाद सारे वैर ख़त्म हो जाते हैं। हिन्दुओं में तो बाक़ायदा संस्कृत सुभाषित है 'मरणान्ति वैराणि', यह अलग बात है कि हिन्दुत्ववादियों के लिए यह बेमतलब-सा है।

30 जनवरी वर्ष 2019 को हिन्दु महासभा से जुड़ी पूजा शुक्ला एवं उसके सहयोगियों ने गांधी की प्रतिमा पर गोलियां दाग कर उनकी 'मौत को नए सिरे से अभिनीत किया' वह प्रसंग हम सभी के सामने रहा है, जिसमें ''महात्मा'' गोडसे के नाम से नारे भी लगे थे और उसकी मूर्ति पर माला भी चढ़ायी गयी थी। हिंसा के इस महिमामंडन को अधिक 'लाइव' बनाने के लिए इन लोगों ने बाक़ायदा स्याही के गुब्बारे भी प्रतिमा के पीछे लगाए थे ताकि नक़ली गोलियां चलने पर प्रतिमा से ख़ून भी बहता दिखे। इसका वीडियो बनाकर उसे काफ़ी शेअर भी किया गया।

उस व्यक्ति के बारे में जो बहुत पहले मर चुका है, उसके प्रति इस क़दर नफ़रत क्यों?' ... मुमकिन है वह नफ़रत के तौर पर दिखती है, मगर वह वास्तव में डर हो?'

इस घटना की व्यापक भर्त्सना हुई, तेरह लोगों के ख़िलाफ़ मुक़दमे भी दर्ज हुए। कुछ गिरफ़्तार भी हुए। कुछ स्वास्थ्य का हवाला देकर ज़मानत पर छूट भी गए, जिन्होंने अपने 'क्रांतिकारी' काम का बखान करते हुए पत्रकारों को साक्षात्कार भी दिए। तमाम लोगों ने इस घटना पर लिखा है। गांधी की इस 'नक़ली' हत्या को एक तरह से 'न्यू इंडिया' की झलक के तौर पर देखा गया, जहां आधुनिक भारत के निर्माताओं में शुमार किए जाती रही शख़्सियतों गांधी, नेहरू, आज़ाद या अम्बेडकर आदि के स्थान पर तरह-तरह की विवादास्पद शख़्सियतों को प्रोजेक्ट करने की क़वायद तेज़ हो चली दिखती है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो विश्लेषकों का यह भी कहना था कि वह दिन दूर नहीं जब गोडसे को राष्ट्रीय हीरो के तौर पर पेश किया जाए।

इस पूरे घटनाक्रम पर रोहित कुमार- जो शिक्षाविद हैं और जो पॉज़िटिव

साइकोलोजी तथा साइकोमेटरिक्स में दख़ल रखते हैं–के आलेख में कुछ नए ढंग से सोचा गया था। उनका प्रश्न था कि उन्होंने गांधी की प्रतिमा पर इसलिए तो गोलियां नहीं चलायीं कि 'उन्हें लग रहा हो कि गांधी अभी ज़िन्दा हैं?' उनका कहना था–

'यह हिन्दुत्व के चरमोत्कर्ष का वक़्त है...गांधी को आधिकारिक तौर पर समाहित किया गया है और एक चश्मे तथा झाड़ू तक न्यूनीकृत किया गया है, इसके बावजूद इस व्यक्ति के बारे में जो बहुत पहले मर चुका है, उसके प्रति इस क़दर नफ़रत क्यों?' ...मुमकिन है वह



नफ़रत के तौर पर दिखती है, मगर वह वास्तव में डर हो?'

फिर बिहेविरल साइकोलोजिस्ट अर्थात स्वभाव संबंधी मनोविज्ञानियों के हवाले से वह बताते हैं कि नफ़रत और डर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक दूसरे का अनुगमन करता है, पीछे-पीछे आता है, जैसे दिन के बाद रात आती है।

'सत्य और अहिंसा', जैसा कि हम जानते हैं, वह 'हथियार' थे जिसके बलबूते गांधी ने अपने 'युद्ध' को लड़ा था। क्या यह मुमकिन है कि विगत पांच वर्षों में, हर बार जब हिन्दुत्ववादी संगठनों ने इन दो ताक़तवर 'हथियारों' को प्रयोग में देखा हो, उन्हें गांधी नज़र आए हों?

फिर लेखक पूछता है कि जब 55,000 किसान अपनी मांगों के लिए पैदल मार्च करके मुंबई पहुंचे, हज़ारों लोग देश के तमाम शहरों में जुनैद नामक एक छोटे बच्चे की हत्या के ख़िलाफ़ जिसे वह जानते तक नहीं थे–इकट्ठा हुए थे, ऐसी तमाम घटनाओं पर उन्हें क्या गांधी की मौजूदगी नज़र आयी थी? या जब यशपाल सक्सेना ने उनकी एकमात्र संतान अंकित सक्सेना की उसकी मुस्लिम प्रेमिका के परिवार द्वारा की गयी हत्या के बाद घटना को साम्प्रदायिक रंग देने से इन्कार किया था, तब क्या उन्हें वहां गांधी नज़र आया था?

क्या हर बार जब उनकी साम्प्रदायिक कारगुज़ारियां नाकामयाब होती हैं, तब हिन्दुत्ववादियों की गांधी से मुलाक़ात होती है? हिन्दू महासभा गांधी की प्रतिमा पर जितनी भी गोलियां चलवा दे, मगर वह उनके शब्दों के सत्य से जूझ नहीं सकती। ■■

जब भी मैं निराश होता हूं, मुझे याद आता है कि समूचा इतिहास यही बताता है कि हमेशा सत्य और प्रेम का तरीक़ा ही जीता है। तानाशाह और हत्यारे रहे हैं, और कुछ वक़्त तक, वह अजेय भी दिखते रहे हैं, मगर अंत में वह शिकस्त पाए हैं। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए- हमेशा। गांधी की प्रतिमा पर कोई चाहे जितनी भी गोलियां चलवा दे, मगर वह उनके शब्दों के सत्य से जूझ नहीं सकता।

ज़िंदगी को ख़तरे में डालती रील

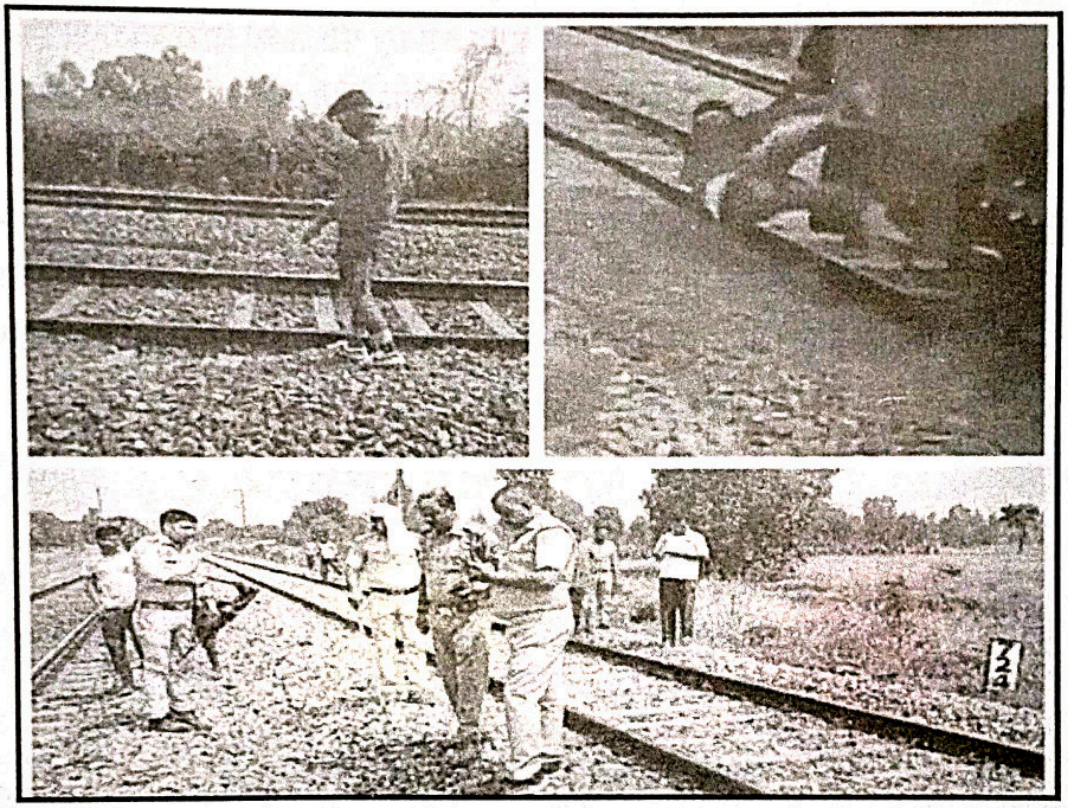

अभी तक तो देश-दुनिया में सेल्फी चढ़कर बोल रही थी, जिस कारण अनेक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन अब देश में रील बनाने की होड़ चल पड़ी है। बुजुर्ग हो या बच्चा, सभी रील बनाते नज़र आते हैं। युवा वर्ग तो दुर्गम स्थानों पर जाकर स्टंट करते हुए रील बना रहा है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर वाहवाही लूटने के साथ धन भी कमा रहा है।

युवाओं में रील बनाने की होड़ इस हद तक बढ़ गई है कि वे किसी की जान बचाने का प्रयास करने के बजाय रील बनाने में व्यस्त रहते हैं, ताकि सजीव रील को लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें।

हाल ही में एक ही दिन ऐसे दो मामले संज्ञान में आए, जहां रील बनाने की चाह ने युवाओं के जीवन को समाप्त कर दिया। छत्रपति संभाजी नगर में एक लड़की पहाड़ी इलाके में गाड़ी चलाने की रील बनाते समय 300 फीट ग़हरी खाई में जा गिरी तो कानपुर में एक दरोगा वीडियो बनाता रहा और हेड कांस्टेबल ने उसके सामने दम तोड़ दिया।

हंसी-मज़ाक या फिर संदेश के तौर पर बनाई गई रील तो समझ आती है, मगर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर रील बनाना आखिर कहां की समझदारी है? बिना सुरक्षा इंतजामों के खतरों से खेलते हुए रील बनाना जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? जिंदगी की कम कीमत आंकने वाले युवाओं को यह समझना होगा कि ईश्वर द्वारा दिया गया यह जीवन अनमोल है। इसका सदुपयोग करें। वैसे तो इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा सतत प्रयास जारी हैं, बावजूद इसके दुर्गम स्थानों पर रील बनाना प्रतिबंधित होना अनिवार्य है, ताकि दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके।

मुफ़्त की चीज़ का कोई मोल नहीं

सरकारी दुकान से मिलने वाला गेहूं, चावल गरीबों को बांटा जाता है। इसमें ग्राहक से कोई पैसे नहीं लिए जाते, इसलिए इसका कोई मोल भी नहीं है और इसीलिए इस अनाज की गुणवत्ता पर भी कभी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

अपनी बड़ाई में सरकार सीना फुलाकर कहती है कि वह ग़रीबों का पेट भर रही है, लेकिन देखने में आता है कि अनाज लेने वाले लोग सड़क पर दोपहिया वाहनों पर फर्राटा भर रहे होते हैं। इसके अलावा कई लोग इस राशन को दोबारा किराने की दुकान पर आधे-पौने भाव में बेच देते हैं। इस तरह सरकार लोगों को जो अनाज देती है, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इस अनाज का पूरा मूल्य सरकार को ही भरना पड़ता है।



हालांकि कुछ लोग जो राशन लेते हैं, वे ज़रूरतमंद हो सकते हैं, लेकिन अब लोग पहले जैसे गरीब- बदहाल नहीं दिखते, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह अनाज को मुफ्त में न बांटकर इसकी न्यूनतम कीमत वसूले। इससे लोग अनाज का महत्व समझेंगे और लोगों का आत्मसम्मान भी बना रहेगा। मुफ़्त की जगह न्यूनतम मूल्य होना बहुत ज़रूरी है। इससे अनाज लेने वाले को भी यह महसूस होगा कि वह कोई चीज मुफ़्त नहीं ले रहा है। इस नीति से अनाज का सही उपयोग हो सकेगा।

स्क्रीन टाइम बना रहा युवाओं को अनिद्रा का शिकार

सेहत

संपादन प्रभाग

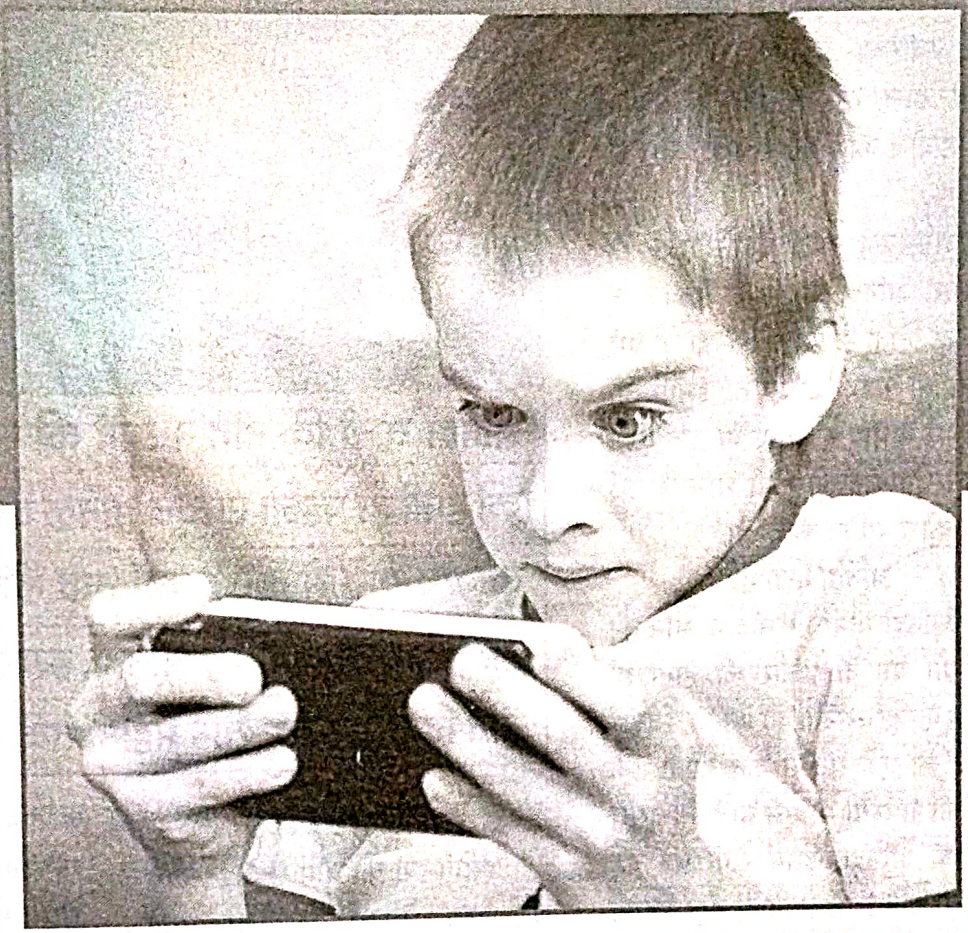

नींद आराम करना भर नहीं है, यह ऊर्जा भंडार को दुरुस्त करती है। याददाश्त को दुरुस्त रखती है। गहरी नींद में शरीर घावों को दुरुस्त करता है और इम्युनिटी को बढ़ाता है। दिनभर व्यक्ति में ऊर्जा बनी रहती है, लेकिन आजकल लोगों ख़ासकर युवाओं में नींद के पैटर्न को लेकर कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

हाल के वर्षों में अनिद्रा के रोगियों में तेज़ी से इज़ाफ़ा हुआ है। युवा नींद न आने पर स्लीपिंग पिल्स के आदी हो रहे हैं। वे रात भर जगते हैं। न तो उन पर पढ़ाई का कोई प्रेशर है न ही एकाकी जीवन है, फिर भी आंखों से नींद ग़ायब है।

चिकित्सकों के अनुसार रील देखने के चक्कर में युवा रातभर जाग रहे हैं। मोबाइल की नीली रोशनी मेलाटोनिन रसायन बनने से रोक रही है। इसलिए नींद ग़ायब है।

स्लीप स्पेशलिस्ट का कहना है कि स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल नींद का सबसे बड़ा है। इलाज के लिए आने वाले अधिकतर लोग सोशल मीडिया और ओटीटी की वजह से देर तक जागते हैं, ऐसे में उन्हें इसका नुक़सान उठाना पड़ रहा है।

जानकारों के अनुसार, नींद सर्केडियन रिदम से नियंत्रित होती है। यानी प्रकाश के संकेतों के हिसाब से काम करती है। रात होते ही रोशनी कम होने पर मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनता है। यह सोने में मदद करता है, लेकिन मोबाइल की नीली रोशनी मेलाटोनिन बनने से रोकती है। ऐसे में कई युवाओं की नींद रात को ग़ायब हो रही है। कई परिजन इस तरह की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं।

कम नींद से उच्च रक्तचाप, मधुमेह, पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने से होने वाले हृदय रोग, हृदयाघात, अवसाद जैसी बीमारियों का ख़तरा हो सकता है। नींद न आने की वजह से दिन भर सिर भारी-सा लगता है।

लंबे समय तक नींद की कमी

आपको हार्ट और अन्य कई गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकती हैं।

अनिद्रा यानी इनसोम्निया और हृदय रोग के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध पाया गया है। लंबे समय तक नींद की कमी या नींद की ख़राब गुणवत्ता न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, बल्कि यह हृदय स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, जिसके कारण हार्ट डिज़ीज़ का जोखिम बढ़ता जा रहा है।

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, अनिद्रा और हार्ट डिज़ीज़ के बीच के लिंक से पहले अनिद्रा के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। इंसोम्निया का अर्थ है नींद न आना या नींद आने में समस्या। नींद की कमी शरीर के कई अंगों को प्रभावित करती है।

अनिद्रा क्या है?

अनिद्रा यानी कि नींद न आने की समस्या। यह दो प्रकार की होती है। पहला एक्यूट अनिद्रा की स्थिति, जिसमें मरीज़ को एक रात से कुछ हफ़्तों तक नींद की समस्या महसूस होती है। दूसरा क्रोनिक अनिद्रा, इसमें रोगी को यह समस्या तीन दिनों से लेकर तीन महीनों तक रह सकती है।

अनिद्रा के कारण

अत्यधिक तनाव और चिंता, कैफ़ीन, निकोटीन और शराब का सेवन, दवाओं का प्रभाव, ख़राब जीवनशैली आदि।

अनिद्रा के लक्षण

अनिद्रा के कुछ मुख्य लक्षण हैं, जैसे कि नींद न आना, ख़ासतौर पर रात को। इसके अलावा थकावट, चिड़चिड़ापन और ग़ुस्सा आना आदि। ये लक्षण और भी कई बीमारियों के भी हो सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर से मिलें।

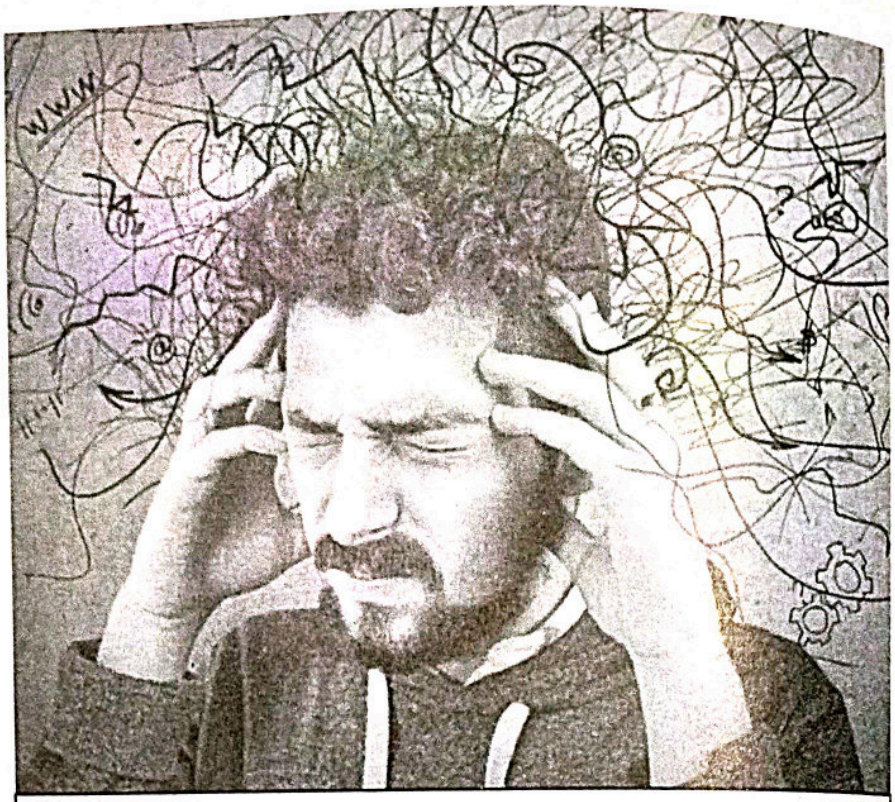

अनिद्रा यानी कि नींद न आने की समस्या। यह दो प्रकार की होती है। पहला एक्यूट अनिद्रा की स्थिति, जिसमें मरीज़ को एक रात से कुछ हफ़्तों तक नींद की समस्या महसूस होती है। दूसरा क्रोनिक अनिद्रा, इसमें रोगी को यह समस्या तीन दिनों से लेकर तीन महीनों तक रह सकती है।

अनिद्रा से जुड़े ख़तरे

इंसोम्निया की बीमारी अपने साथ कई रिस्क फैक्टर्स भी लेकर आती है, जैसे कि मेंटल प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, पाचन संबंधी और हार्ट संबंधी समस्याएं। नींद की कमी आपके शरीर में कई समस्याएं पैदा कर सकती है और कैंसर का रिस्क भी बढ़ा सकती है।

अनिद्रा और हार्ट डिज़ीज़ के बीच संबंध

अनिद्रा और हार्ट डिज़ीज़ के बीच गहरा संबंध है। ये दोनों स्थितियां भयानक हो सकती हैं। नींद की समस्या का प्रभाव हमारे दिमाग़ी और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर पड़ता है। अनिद्रा दिल संबंधित समस्याओं को बढ़ा सकती है, क्योंकि रोज़ाना 7 घंटे से कम नींद लेने पर या लंबे समय तक नींद न आने से धीरे-धीरे मरीज़ हाई ब्लड प्रेशर का शिकार भी बन सकता है। जिसे हार्ट डिज़ीज़ का जोखिम बढ़ सकता है, ख़ासतौर पर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का। हाई ब्लड प्रेशर हार्ट डिज़ीज़ और स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण और ख़तरा है।

अतः अनिद्रा की समस्या होने पर लापरवाही न बरतें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। साथ ही युवाओं को चाहिए कि वे स्वयं स्क्रीन टाइम को लिमिट करें। आउटडोर एक्टिविटी के लिए स्वयं को प्रेरित करें। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों से स्वयं को जोड़ें। ■■



बीटेक का क्रेज आज भी है बरक़रार

करियर



संपादन प्रभाग

बीटेक का क्रेज आज भी बरक़रार है। यही वजह है कि 12वीं साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करने वाले अधिकतर स्टूडेंट्स बीटेक की पढ़ाई करते हैं। इस वक़्त कंप्यूटर साइंस का क्रेज सबसे ज़्यादा है। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को भी भुलाया नहीं जा सकता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऐसे बहुत से करियर ऑप्शन हैं, जहां आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद करियर बना सकते हैं और लाखों-करोड़ों का पैकेज पा सकते हैं...।

पावर इंजीनियर

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद पावर इंजीनियर बनना सबसे आसान है। अधिकतर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल के बाद इसी फील्ड में करियर बनाते हैं। एक पावर इंजीनियर पेशेवर के रूप में आप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने व उपयोग करने वाली प्रणालियों को डिज़ाइन, संचालित, समस्या निवारण करने आदि क्षेत्र में काम कर सकते हैं। कई पावर कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स को हायर करती हैं और लाखों-करोड़ों का पैकेज देती हैं।

कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर भी सर्वश्रेष्ठ करियर की लिस्ट में शामिल है। कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर एक पेशेवर होता है जो ऐसी प्रणालियों को डिज़ाइन, विश्लेषण और रख-रखाव करता है जो अन्य प्रणालियों, जैसे मशीनों या प्रक्रियाओं के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। देश-विदेश में कई कंपनियों की तरफ़ से ऐसे इंजीनियर्स की हायरिंग बड़े लेवल पर की जाती है।

अनुसंधान एवं विकास इंजीनियर

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद अनुसंधान एवं विकास इंजीनियर में भी करियर बनाया जा सकता है। यदि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नई चीज़ें खोजने में रुचि रखते हैं तो आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर बनना सबसे अच्छे करियर में से एक है। ऐसे इंजीनियरिंग को बढ़िया सैलरी के साथ-साथ कई अन्य तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर

यदि आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के क्षेत्र में खोज करना पसंद करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ करियर में से एक है। एक पेशेवर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के रूप में आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और सर्किट, डिवाइस व संचार सिस्टम जैसे घटकों को डिज़ाइन, विकसित और परीक्षण करेंगे। ऐसे इंजीनियर्स को भी बढ़िया सैलरी दी जाती है।

रोबोटिक्स इंजीनियर

एआई और रोबोटिक तकनीक ने दुनिया में तहलका मचा दिया है। ऐसे में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में भी करियर बना सकते हैं। एक रोबोटिक्स इंजीनियर के रूप में आप रोबोटिक सिस्टम को डिज़ाइन, निर्माण और रख-रखाव करेंगे। आप रोबोट के डिज़ाइन के विभिन्न पहलुओं, जैसे सेंसर, प्रोग्रामिंग और

नियंत्रण प्रणाली पर काम कर सकते हैं। यह सब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सिद्धांतों का उपयोग करके किया जाएगा।

रेनेवल एनर्जी इंजीनियर

यदि आप सतत विकास और नवीकरणीय संसाधनों की वकालत करते हैं तो नवीकरणीय ऊर्जा इंजीनियर बनना आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद सबसे अच्छे करियर में से एक है। नवीकरणीय ऊर्जा इंजीनियर के रूप में आप सौर, पवन, भू-तापीय, जल विद्युत और बायोमास जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के डिज़ाइन, विकास व कार्यान्वयन पर काम करते हैं।

इलेक्ट्रिकल इंजीनियर

एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आम तौर पर बड़े पैमाने पर विद्युत प्रणालियों जैसे बिजली ट्रांसमिशन, मोटर नियंत्रण, बिजली का उपयोग और ऊर्जा संचारण पर ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नई विद्युत प्रणालियों को डिज़ाइन और विकसित करते हैं। साथ ही वे उपकरणों का परीक्षण करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके अलावा कई

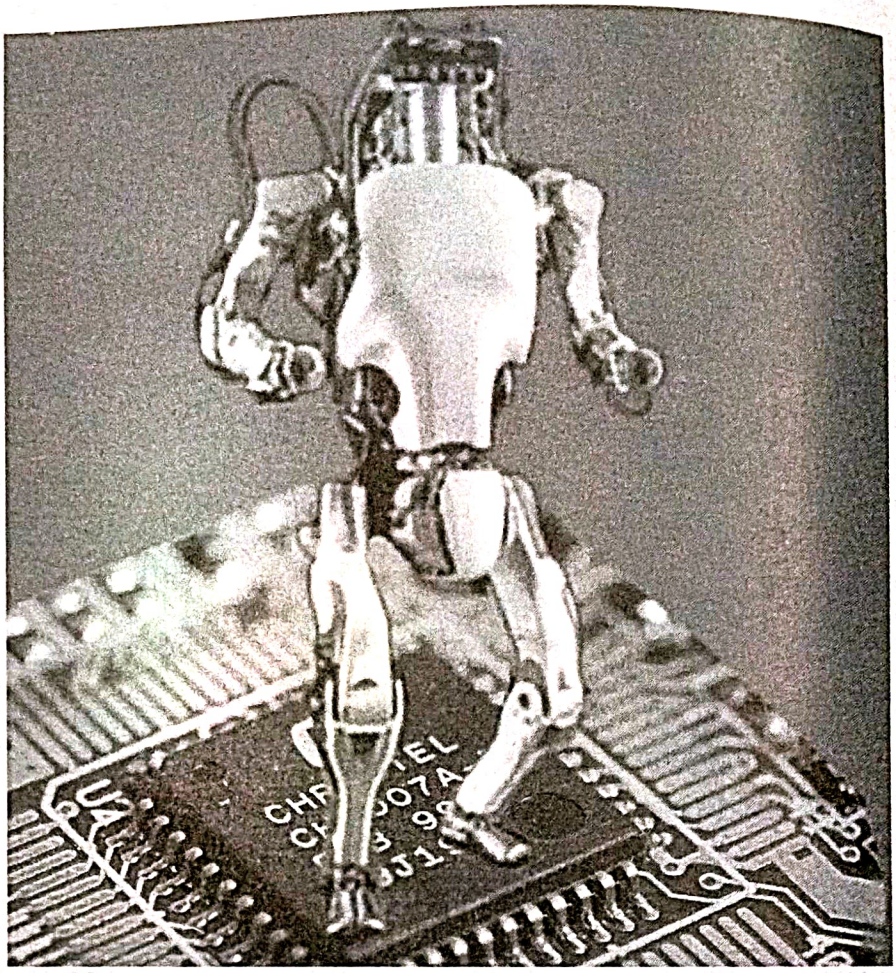

अन्य काम भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करते हैं। ऐसे में आप इस फील्ड में भी करियर बना सकते हैं।

इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर

एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर आमतौर पर उत्पादकता, सुरक्षा, विश्वसनीयता, स्थिरता और अनुकूलन में सुधार के लिए विभिन्न कंपनियों में काम करता है। इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग उन लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद सबसे अच्छे करियर में से एक है, जो लीक से हटकर सोच सकते हैं। इन इंजीनियर्स की भी बढ़िया सैलरी होती है।

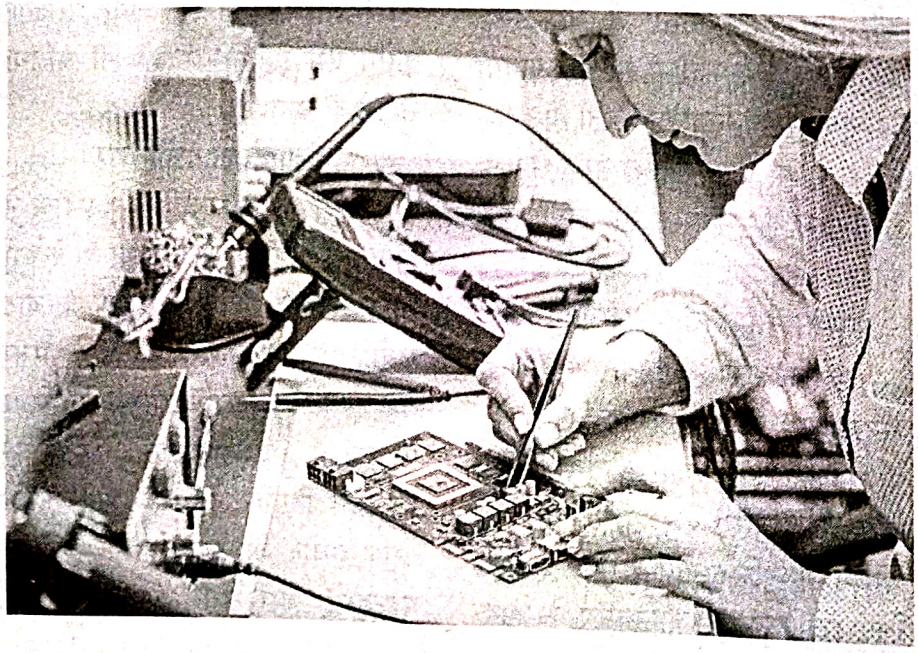

टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर

लॉगिंग और डेटाबेस टेबल का अच्छा ज्ञान, LAN, WAN, वायरलेस LAN और WWAN को डिज़ाइन करने और लागू करने का अनुभव व नेटवर्क हार्डवेयर, इंटरनेट मानकों और प्रोटोकॉल की अच्छी तकनीकी समझ रखने वाले किसी व्यक्ति के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बढ़िया विकल्प हो सकता है। ऐसे इंजीनियर्स को भी बढ़िया सैलरी पर हायर किया जाता है।

माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स हैं ख़ास

माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्रभाग है जो इलेक्ट्रॉनिक, न्यू बायोमेडिकल, सूचना प्रौद्योगिकियों, एयरोस्पेस उपकरणों आदि के यंत्र को डिज़ाइन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्किट बोर्ड, अर्धचालक और माइक्रोचिप्स जैसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक भागों के डिज़ाइन पर ध्यान केंद्रित करता है। ऐसे में आप इस फील्ड में भी बेहतर करियर बना सकते हैं।

हार्डवेयर और वीएलएसआई आधुनिक तकनीक के आवश्यक घटक हैं, जो उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और एकीकृत सर्किट के विकास को सक्षम बनाते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रसार ने एकीकृत चिप्स और सेंसर की मांग में तेज़ी से वृद्धि की है। इस बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने इलेक्ट्रॉनिक्स बीएलएसआई डिज़ाइन और प्रौद्योगिकी में बीटेक के लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है।

प्रवेश के लिए पात्रता : बीएलएसआई डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक की विशेषज्ञता है। यह इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) या मिलिकॉन चिप्स के डिज़ाइन और निर्माण की प्रक्रिया है। कोर्स में प्रवेश के लिए पात्रता यह है कि उम्मीदवार पीसीएम में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बारहवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। कोर्स में प्रवेश के लिए कुछ शीर्ष परीक्षाएं जैसे गेट, जेईई मेन्स, एपी, पीजीईसीईटी और सीयूएसटी डीएटी आदि हैं।

कोर्स के प्रकार : प्रत्येक वीएलएसआई कोर्स की अवधि अलग-अलग होती है। सर्टिफिकेशन 4-12 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। यह इंजीनियरिंग या स्नातक के छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। इसके अलावा बीएलएसआई के लिए पीजी डिप्लोमा कोर्स भी उपलब्ध है। स्नातक की डिग्री पूरी होने के बाद इसे किया जा सकता है। वहीं बैचलर कोर्स के लिए छात्रों को 12वीं के बाद ईसीई में बीटेक/बीई करना चाहिए। मास्टर डिग्री के लिए आप वीएलएसआई में एमटेक/एमई कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टरेट के लिए उम्मीदवार ईसीई में पीएचडी करते हुए वीएलएसआई में अपना शोध कर सकते हैं।

अवसरों की कमी नहीं : कोर्स करने के बाद छात्र बतौर डिज़ाइन इंजीनियर, सत्यापन इंजीनियर, भौतिक डिज़ाइन इंजीनियर, उत्पाद सत्यापन इंजीनियर, तकनीकी प्रबंधक के रूप में इंटेल ग्लोबल फाउंड्रीज, माइक्रोन टेक्नोलॉजीज, मार्वेल सेमीकंडक्टर, इनफिनियन टेक्नोलॉजीज, मीडियाटेक इंक, एनएक्सपी सेमीकंडक्टर, टीएसएमसी, क्वालकॉम, फिलिप्स आर एंड डी, सैमसंग आर एंड डी, सीमेंस, आईबीएम, बॉश, विप्रो, टाटा ईएलएक्सआई आदि निजी संस्थानों के साथ कई सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों जैसे-एससीएल, इसरो, डीआरडीओ, एचएएल, बीईएल आदि में कार्य कर सकते हैं।

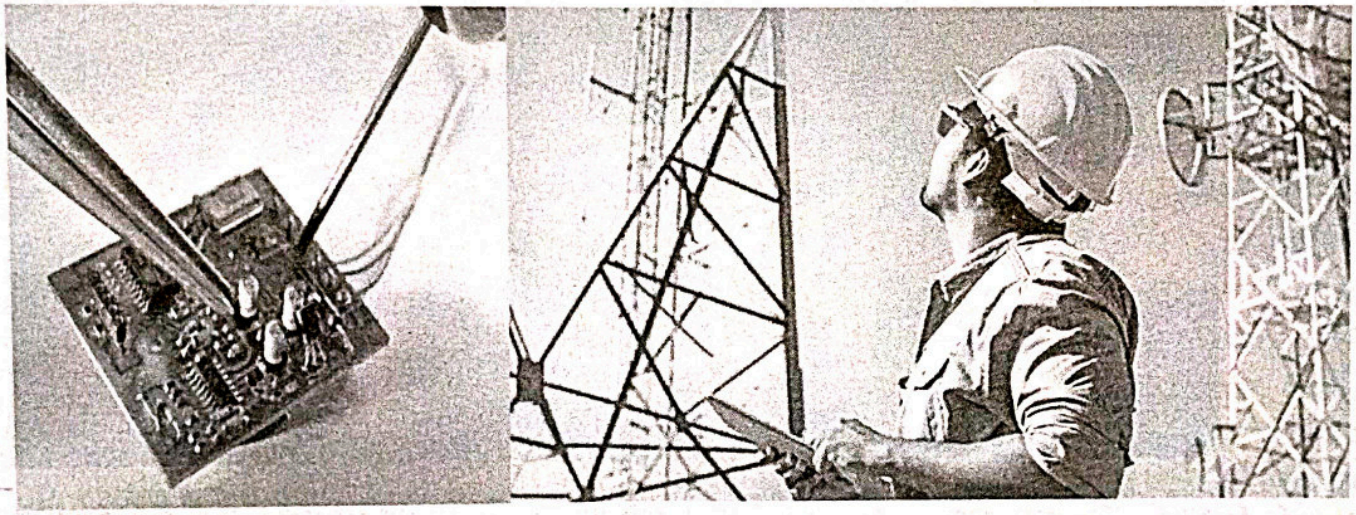

प्रमुख संस्थान

- दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी दिल्ली https://dtu.ac.in/
- आईआईटी, मद्रास https://www.litm.ac.in/
- आईआईटी, दिल्ली https://home litc.ac.in/
- वीआईटी वेल्लोर https://vit.ac.in/
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-एनआईटी, त्रिची विधी https://www.nitt.edu/

असीम ज्ञान और सीमित बुद्धि

प्रकाश स्तंभ

सैयद वक़ार अहमद हुसैनी

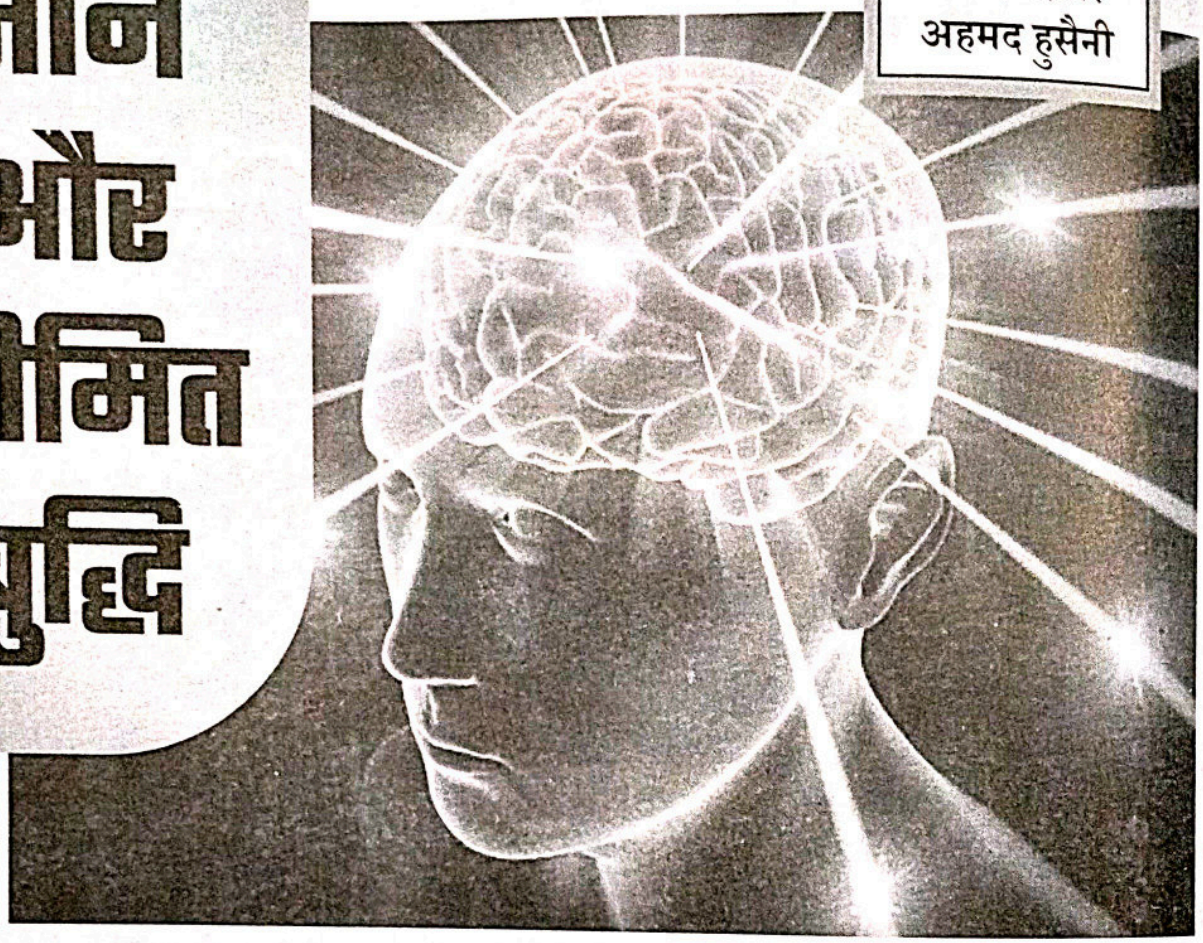

"आकाश को हमने अपने हाथ (शक्ति) के बल से बनाया और हम हैं जो बड़ी तेज़ी से इसे फैला रहे हैं।"

(क़ुरआन, 51:47)

"फिर उसने आकाशों की ओर रुख़ किया, जबकि वह मात्र धुआं था और उसने उनसे और धरती से कहा आओ, स्वेच्छा के साथ या अनिच्छा के साथ। 'उन्होंने कहा–हम स्वेच्छा से आये।"

"फिर दो दिनों (कालों) में उनको अर्थात् सात आकाशों को बनाकर पूरा किया और प्रत्येक आकाश में उससे संबंधित आदेश की प्रकाशना कर दी और दुनिया के (निकटवर्ती) आकाश को हमने दीपों (तारों) से सजाया (रात में यात्रियों के दिशा-निर्देश आदि के लिए) और सुरक्षित करने के उद्देश्य से । यह अत्यंत प्रभुत्वशाली, सर्वज्ञ का ठहराया हुआ है।" (क़ुरआन, 41:11-12)

"क्या उन लोगों ने जिन्होंने इन्कार किया, देखा नहीं कि ये आकाश और धरती बंद (एक-दूसरे से मिले-जुले) थे, फिर हमने उन्हें खोल दिया?"

उक्त आयतों में प्रयुक्त अरबी शब्द निश्चित संज्ञा 'अस-समाअ' का अर्थ यहां पर आकाश या उर्ध्व जगत (Heavens) या विश्व हो सकता है। 'मूसिऊन' से तात्पर्य वह सत्ता है जो विस्तृत करती है या विस्तृत सीमाओं का मुख्य कारक है। 'लमूसिऊन' में उपसर्ग 'ल' इसके बाद आने वाली संज्ञा की विशेषता के अर्थ में ताकीद और एक सीमा तक अतिशयोक्ति पैदा करने के लिए आता है इस अर्थ में कि 'बहुत अधिक' या 'वास्तव में बहुत अधिक'। इस लिहाज़ से इस वाक्य में 'ल-मूसिऊन' का यह अर्थ हो सकता है कि ईश्वर आकाशों को बहुत अधिक विस्तृत कर रहा है और फैला रहा है। इस अंतिम संक्षिप्त वाक्य (व इन्ना ल-मूसिऊन) का यूं भी अनुवाद किया जा सकता है कि "वास्तव में हम बहुत अधिक या लगातार या तेज़ी से आकाशों या विश्व को फैला रहे हैं।"

क़ुरआन कि सूरह 'हा-मीम-अस-सजदा' की आयतें (41:11,12) कहती है कि आकाश भी एक समय में धुआं

थे और आयत 21:30 यह बयान करती है कि आकाश और धरती कभी परस्पर जुड़े हुए थे, ईश्वर ने आकाशों को धरती से अलग किया। दो दिनों या अवधियों (Eons) में ईश्वर ने इस धुएं से धरती से निकटतम आकाश में रोशनी देने वाले सितारों समेत सात या कई आकाश पैदा किये और उसने प्रत्येक आकाश को उसका आदेश या उनके अस्तित्व के क़ानून प्रदान किये।

इस अध्याय का विषय आयत 51:47 है। आरंभिक धुएं (दुख़ान) से विश्व या सौरमंडल को पैदा करने के बाद ईश्वर ने कब और कैसे आकाशों या विश्व को फैलाया? क्या यह फैलाने का काम अब भी जारी है? या वह रुक-रुककर कभी-कभी होने वाली प्रक्रिया है? क्या वह फैलने और सिकुड़ने की अवधियों के साथ बार-बार दोहराया जाने वाली प्रक्रिया है? फैलाव कब शुरू हुआ और वह कब समाप्त होगा? हमारी जानकारी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वे कौन-से ब्रह्माण्ड संबंधी नज़रिये हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने अपने पर्यवेक्षणों या जानकारियों के आधार पर प्रस्तुत किये हैं एवं प्रस्तावित किये हैं?

सातवां अध्याय 'बड़े धमाके का सिद्धांत' (Big Bang Theory) और रक्तिम विचलन (Red Shift) के प्रादुर्भाव की व्याख्या करता है। पूर्व उल्लेख्य विवेचन में यह कल्पना की गयी है कि वे शुरू के अग्नि पिंड (Primordial Fireball) से अभिहित एक तेज़ी से फैलने वाले विकिरणों के गोले के रूप में 13 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ ज़बरदस्त धमाका था, जिससे अग्निपिंड, विकिरणों और पदार्थ में परिवर्तित हो गया।

शायद उसी पदार्थ के एक छोटे से झुंड (Clump) ने 4. 5 बिलियन वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल को निर्मित किया। इसी के बड़े-बड़े झुंडों ने तारों को बनाया जो एक-दूसरे से दूर हटते जा रहे हैं। जिस ओर भी अंतरिक्ष विज्ञानियों ने अपनी रेडियो दूरबीनों का रुख़ किया, उस ओर धुंधली रेडियो तरंगों (Faint Radio Waves) की मौजूदगी के कारण ऐसा ख़्याल किया गया है। ये रेडियो तरंगें किसी अत्यधिक गरम चीज़ से निकलने वाली रेडियो तरंगों के सदृश हैं जो धरती से दूर हटती जा रही हों। इससे इस ख़याल को भी बल मिला कि विश्व 'बड़े धमाके' (Big Bang) के समय से ही लगातार फैलता जा रहा है। यह विश्वास किया जाता है कि आकाशगंगाएं "सदैव" से एक-दूसरे से दूर हटती जा रही हैं।



अंतरिक्ष विज्ञानी इस बात को भी संभव समझते हैं कि लगभग 70 बिलियन वर्ष के भीतर आकाश गंगाएं पुनः परस्पर मिल सकती हैं। अगर वे वास्तव में मिल जाएं, तब तो विश्व के पदार्थ एक बार पुनः फट पड़ेंगे और वर्तमान विश्व जैसा एक और नया विश्व बनने लगेगा।

वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम कि क्या ब्रह्माण्ड का भी कोई परिमाण और लंबाई-चौड़ाई है। मिसाल के तौर पर क्वासार (Quasars) ब्रह्माण्ड की दूरस्थ चीज़ें हो सकती हैं। धरती से अधिक से अधिक 10 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर ये प्रकाशमान चीज़ें असाधारण आकाशगंगाएं हो सकती हैं। क्वासार और दूसरी दूरस्थ आकाशगंगाओं के अंतर्गत रक्तिम विचलन (Red Shift) के कारण यह अंदाज़ा लगाया गया है।

रक्तिम विचलन प्रकाश की लंबी तरंगों में घटित होने वाला प्रत्यक्ष परिवर्तन है, जबकि वह देखने वाले से दूर हटता जाता है। रक्तिम विचलन को देखकर वैज्ञानिकों को यक़ीन हुआ

कि विश्व का प्रत्येक अंश दूसरे हर एक अंश से दूर हटता जा रहा है। यह विश्व की वे बुनियादी विशेषताएं हैं जिसकी आधुनिक वैज्ञानिक विभिन्न ब्रह्माण्ड संबंधी दृष्टिकोणों के द्वारा व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं।

अधिकांश ब्रह्माण्ड संबंधी दृष्टिकोण या विश्वास करते हैं कि विश्व का कोई भी भाग, किसी भी दूसरे भाग के सदृश है जो उसका समकालीन हो। विश्व का पूर्व घोषित व्यवहार (Predicted Behaviour) आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत से उद्भूत विश्वासों पर आधारित है : यह कि भौतिक क़ानून पूरे विश्व में समान हैं और कोई संकेत प्रकाश की गति से अधिक तेज़ गति से नहीं चल सकता है।

इन सिद्धांतों पर आधारित ब्रह्माण्ड संबंधी दृष्टिकोण एक ऐसा विश्व प्रस्तुत करते हैं जो फैलता भी है और सिकुड़ता भी है। आकाशगंगाओं के रक्तिम स्थानांतरण का निरीक्षण अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से यह फ़ैसला कराता है कि सृष्टि फैलती जा रही है यद्यपि विश्व का फैलना और सिकुड़ना विश्व में पदार्थ की सघनता पर निर्भर है। इस लिहाज़ से जगत के तीन संभावी नमूने (Models) उभर कर सामने आते हैं एक खुला, दूसरा बन्द या दोलायमान (Oscillating) विश्व और दोलायमान जगत की स्थायी दशा वाला नमूना।

यदि विश्व में विद्यमान सभी ज्ञात पदार्थों को समान रूप से फैला दिया जाए, तो वायुमंडल के प्रति दस क्यूबिक गज़ स्थान में हाइड्रोजन का केवल एक एटम होगा। तब विश्व खुला होगा, ऐसी हालत में आकाश गंगाओं का पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली न होगा कि वह उस गति को कुछ अधिक धीमा कर सके, जिस गति से कि वे एक-दूसरे

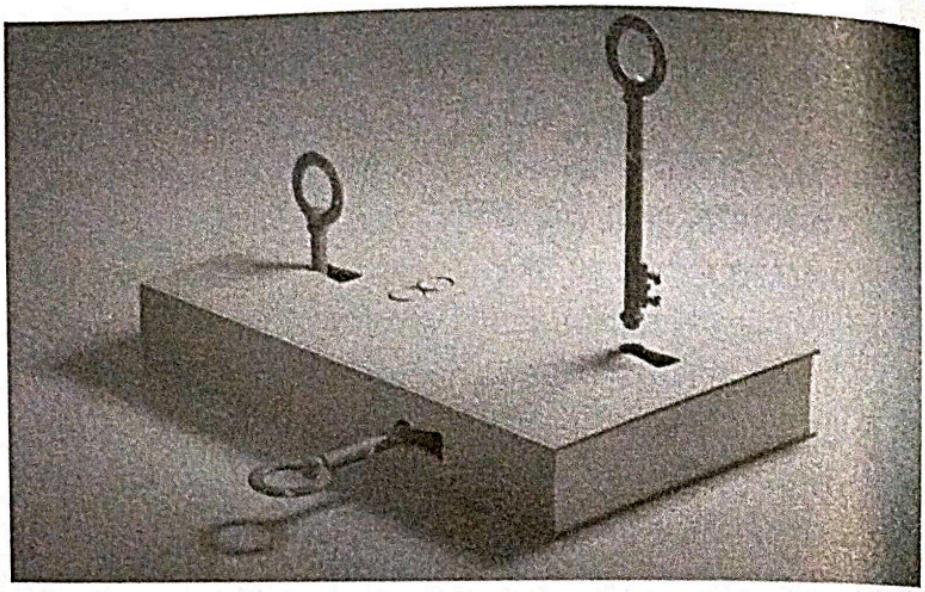

से परे गतिशील रही हैं। यूं विश्व दीर्घ अवधि तक लगातार फैलती ही जाएगी, यहां तक कि अनंतकाल में शून्य घनत्व तक जा पहुंचेगा। सभी आकाशगंगाएं असीमित दूरी तक पीछे हट जाएंगी।

यद्यपि विश्व में बहुत बड़ी मात्रा में पदार्थ हो सकता है जो वैज्ञानिकों की जानकारी में न हो। यदि इस पदार्थ का घनत्व वायुमंडल के प्रति 10 क्यूबिक गज़ केवल 100 हाइड्रोजन एटम होता है, जिसे आजकल एक गंभीर और नाज़ुक मात्रा माना जाता है, ऐसे में विश्व को बन्द समझा जाएगा।

इस प्रकार के विश्व का फैलाव संभव है। 100 बिलियन वर्ष के पश्चात ही सही, इसका फैलाव सुस्त होते-होते पूरी तरह रुक जाएगा और तब वह वास्तव में उलटे सिकुड़ना प्रारंभ कर देगा एवं अंततः विश्व स्वयं अपने आप में विनष्ट हो जाएगा। कुछ दृष्टिकोणों के अनुसार यह बन्द विश्व एक-दूसरे बड़े धमाके (Big Bang) के रूप में पुनः फट सकता है ताकि इसकी कोख से एक और नया फैलने वाला विश्व पैदा हो सके। यह विश्व का दोलायमान मॉडल (Oscillating Model) है।

स्थायी दशा वाला मॉडल (Steady State Model) इस विश्वास पर आधारित है कि सभी कालों में विश्व का कोई भी भाग दूसरे सभी भागों के समान होता है। इस मॉडल में फैलने के कारण घनत्व की कमी हो नये पदार्थ की रचना संतुलित कर देती है जिसकी सघनता (Condensing) के कारण नयी आकाशगंगाएं अस्तित्व में आती हैं। ये आकाशगंगाएं उन आकाशगंगाओं का स्थान ले लेती हैं, जो अनंत वायुमंडल में पीछे हट जाती हैं। फिर भी 1965 ई. से होने वाली अंतरिक्ष खोजों ने इस नमूने को अपर्याप्त और अनुचित ठहरा दिया है।

कुछ वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत (Theory of Relativity) में परिवर्तन लाने की परिकल्पना प्रस्तुत की है जो फैलने वाले विश्व के लिए विभिन्न चीज़ों की भविष्यवाणी करेगी, लेकिन अपने दृष्टिकोण को सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिकों को डाटा की आवश्यकता पड़ती है जैसे, विश्व में तत्व का औसत घनत्व, इसकी आयु, दूरस्थ रक्तिम परिवर्तनों (Red Shifts) की पद्धति आदि। इन्हें प्राप्त करना असंभव है। इसलिए वैज्ञानिक यह नहीं जानते कि उनके दृष्टिकोणों में से यदि कोई दृष्टिकोण ठीक और सही भी है, तो वह कौन-सा है। ■■

कहानी



ख़ुर्शीद ख़िज़र

बचाव

कई दिन से वह महसूस कर रही थी कि लोग उसकी ओर मुख्य रूप से देखते हैं, जब भी वह घर से बाहर निकलती, मुहल्ले के लड़कों और आने-जानेवालों की निगाहों को अपनी ओर उठी हुई पाती, घर से बस स्टैंड तक जाते हुए वह प्रायः देखती कि आस-पास और सामने से गुज़रने वाले कॉलेज व स्कूल के छात्र, दफ़्तर, कारख़ाने वाले लोग, रिक्शे वाले, दुकानों पर बैठे हुए सेठ और काम करने वाले कर्मचारी बराबर उसकी ओर एक बार, दो बार और फिर इससे अधिक बार देखते हैं।

जब वह बस में जा बैठती तो उसके मस्तिष्क में एक शंका-सी रेंग जाती और वह कनखियों से पास-पड़ोस की सीटों पर एक उचटती नज़र डाल लेती कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है? और उसे विचित्र-सा मालूम होता कि वास्तव में कई नज़रें किसी न किसी बहाने उस पर गड़ जाना चाहती हैं। बस से उतरकर कॉलेज पहुंचने और क्लास रूम में घुस जाने तक की अवधि में वह यही देखती कि सभी, नवयुवक, युवक, अधेड़ और बूढ़े, उसको किसी न किसी तरह देख लेते हैं और यह सोचती कि देखने वाले उसे यूं ही नहीं देख लेते जैसे कि काग़ज़, पेंसिल, कपड़े और बर्तन आदि को देखा जाता है, बल्कि बड़ी ही दिलचस्पी के साथ आनन्द प्राप्त करने के लिए देखते हैं।

जब वह क्लास रूम में घुसती तो गेलरी पर पीछे बैठे हुए तमाम लड़कों की दृष्टि अपनी ओर आकृष्ट पाती, प्रोफ़ेसर को लेक्चर देते समय अपनी ओर देखता हुआ एक-दो बार अवश्य ही पकड़ लेती-किसी वजह से वैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती तो लड़कों की निगाहों को अपने ऊपर जमी हुई पाकर चकित रह जाती। फिर संध्या समय घर पहुंचने तक रास्ते भर वह यही देखती कि लोग विचित्र ढंगों से उसे घूरते हैं, क़रीब से गुज़रने वाले इस तरह मुड़-मुड़कर देखते जैसे उनका उस ओर देख लेना अतिआवश्यक हो। बहुत से लोग सड़क पर उससे आगे निकल जाने के बाद भी, पलट-पलटकर नज़ारा कर लेते। इस प्रकार प्रतिदिन घर से बस स्टैंड के बीच के रास्ते में, कॉलेज में, पार्क और सिनेमा में वह अपने-आपको सैकड़ों, हज़ारों नज़रों का केन्द्र बना हुआ पाती और पूरी गम्भीरता से वह देखने वालों और उनकी दृष्टि के बिन्दुओं, रेखाओं और कोणों के बारे में विचार करने लग गई थी। देखने वालों के बारे में उसने अच्छी तरह जान लिया था कि हर छोटी-बड़ी, जवान और बूढ़ी आयु का मर्द उसे घूरा करता है, उसके चचा का चौदह-पन्द्रह वर्षीय लड़का कुछ दिनों से कितनी मस्ती के अन्दाज़ से देखने लग गया था, हालांकि इसके घर वह रोज़ ही आता और उसको रोज़ ही देखता, पर जब भी देखता तो उसे मालूम होता मानो वह पहली बार देख रहा है। उसका नौकर भी घर में उसे एकाध बार ही सही, पर ख़ास नज़र से देख लेता।

कई दिन से वह महसूस कर रही थी कि लोग उसकी ओर मुख्य रूप से देखते हैं, जब भी वह घर से बाहर निकलती, मुहल्ले के लड़कों और आने-जानेवालों की निगाहों को अपनी ओर उठी हुई पाती, घर से बस स्टैंड तक जाते हुए वह प्रायः देखती कि आस-पास और सामने से गुज़रने वाले कॉलेज व स्कूल के छात्र, दफ़्तर, कारख़ाने वाले लोग, रिक्शेवाले, दुकानों पर बैठे हुए सेठ और काम करने वाले कर्मचारी बराबर उसकी ओर एक बार, दो बार और फिर इससे अधिक बार देखते हैं।

उसने देखा कि सुबह जब कॉलेज जाने से पहले वह बाहर निकलती तो क़रीब ही के बंगले की बालकनी में एक व्यक्ति बैठा रहता, कभी शेव करते हुए और कभी अख़बार पढ़ते हुए, कभी अकेला और कभी दो-चार मित्रों के साथ, इधर यह बालकनी के सामने आती और उधर वह उसकी ओर आकृष्ट हो जाता, कोई सुबह ऐसी न जाती कि वह बालकनी में कुछ करते हुए या कुछ भी न करते हुए उसकी ओर न देख लेता हो। गली के नुक्कड़ पर हेयर कटिंग सैलून वाला ठीक उसी समय सैलून का आधा दरवाज़ा खोले आ खड़ा होता, जिस समय कि वह वहां से गुज़र रही होती और हर समय वहां ठहर कर उसको अपनी ओर घूरता देखकर उसे बड़ा अचम्भा होता, वह समझती कि पूरा दिन वह वहीं खड़ा रहता होगा या फिर किसी तरह उसके वहां से गुज़रने का समय उसको मालूम हो जाता होगा, फिर बड़ी सड़क पर तो नित्य ही नए-नए लोग नज़र आते पर कॉलेज की ओर जाने वाली बस का कंडक्टर और कुछ विद्यार्थी, जो साधारणतया उसमें होते और जिन्हें वह भी भली-भांति पहचानती थी, अनावश्यक ही मुड़कर आड़ी-तिरछी, टेढ़ी-मेढ़ी नज़रों से उसे देखते हुए शायद बड़ा आनन्द प्राप्त करते।

कभी-कभी उसे भी किसी मनचले की नज़रे भा जाती और उसका मन होता कि उसे देख-देखकर आनन्दित हो, पर तत्क्षण इन अगणित भूखी, तरसी हुई नज़रों को अपने ऊपर गड़ी हुई देखकर उसे घिन-सी आती और वह अपनी नज़रें नीची कर लेती, पर नज़र नीची किए-किए वह थोड़ी देर में उकता जाती और विचार करती कि इस प्रकार सिर झुकाए पड़े रहने की आख़िर ज़रूरत क्या है। वह तो वर्षों से स्कूल जाती रही है, पार्क में खेलती-कूदती रही है। बाज़ारों में अपने डैडी के साथ सर्वदा शॉपिंग करती रही है। अब से पहले कभी उसने लोगों की नज़रों से भय नहीं खाया था, पूरी निर्भीकता व निर्लज्जता से वह जिस तरह पहले सबकी ओर देखती और बात करती थी, अब भी उसका मन वैसा ही करने को चाहता, पर एक समय से लोगों की फटी हुई दुष्ट, निर्लज्ज व ढीठ आंखों को देखकर अब वह सिहरन का अनुभव करने लग गई थी।

कुछ दिनों से अपने चचा के लड़के की आंखों में ख़ास चमक देखकर वह चौंक रही थी, वह मन ही मन कहती कि इस लुच्चे को हो क्या गया है। पहले, बहुत पहले जब उसके साथ वह बाग़ में खेलती थी तो उस समय उसकी काली पुतलियों के चारों ओर हल्की नीलाहट लिए हुए सफ़ेदी वाली आंखें अतिप्रिय मालूम होती और अब उसकी आंखों की हल्की नीली सफ़ेदी की जगह पीलापन देखकर उसको तनिक भी अच्छा न मालूम होता। फैले हुए कोनों और चोर नज़रों को देखकर उसे घृणा-सी होती। नौकर को भी वह अपनी ओर देखता हुआ पाती तो उसे ऐसा महसूस होता कि जैसे वह डरते-डरते देख लेता है और जब उसकी नज़रों को अपने शरीर पर रेंगते हुए देखती तो उसे यकायक एक कपकपी का अनुभव होता-दुकान वाले, सड़क पर आते-जाते हुए लोग और रिक्शा वालों की नज़रों में उसे निर्लज्जता की झलक मिलती और इस निर्लज्जता के साथ यदि कोई मनचला कुछ आवाज़ें भी कस देता, तो उसके शरीर में सिर से पांव तक एक गर्म लहर दौड़ जाती, हाथों में हरकत आ जाती और उसका मन रोष से कुछ कहने और करने को चाहता। इस सिलसिले में वह अपनी सखियों से भी बातचीत करती और गम्भीरतापूर्वक वार्ता करना चाहती पर उसकी बात उपहास में उड़ जाती और उसको ख़ूब सताया जाता। वह और चिन्तित हो उठती और बुरी तरह उलझन में फंस जाती।

एक दिन कॉलेज से घर आते हुए उसने निश्चय कर लिया कि वह अकेली ही मर्दों की नज़रों के आवारापन को दूर करने का प्रयत्न करेगी और जब तक मर्दों की नज़रों को नीचे न झुका दे, चैन न लेगी। रास्ते भर वह इसी सोच में डूबी रही। बस रुकते ही उसके विचारों का क्रम टूट गया-सड़क पर आते ही उसने लोगों का आना-जाना देखा, पास के ठेले वाले और रिक्शा व टेक्सी वालों पर दृष्टि डाली तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे चहुंओर सैकड़ों-हज़ारों टॉर्चें रोशन हो गई हैं, टॉर्चों की तेज़ किरणें उसके शरीर पर गोलाकार बन रही हैं और सचमुच जब उसे शरीर पर गर्मी और चुभन का अनुभव होने लगा तो वह घबरा उठी, सिर झुकाए हुए तेज़-तेज़ क़दमों से घर की राह ली, लोगों की नज़रों से बचना और शरण लेना उसे अति कठिन बल्कि असम्भव दीख पड़ने लगा। जब वह घर पहुंची तो अपने डैडी और बड़े भाई को मौजूद पाकर शान्त हुई, उसे सुख का अनुभव हुआ। उनकी नज़रें उसे नम्र, प्रेमपूर्ण और रक्षक दिखाई देने लगीं।

रात बड़ी देर तक वह अपने कमरे में लेटे-लेटे मर्दों की घिनौनी नज़रों से बचाव के उपाय सोचने लगी। कुछ दिनों पहले जब कभी वह दूसरों को अपनी ओर देखता हुआ पाती तो विचार करती थी कि उसके अच्छे सुन्दर वस्त्रों को देखा जा रहा है, पर जब से उसके शरीर ने प्रकट रूप धारण कर लिया था, तब से लोगों की नज़रों को वह अपने चमकीले-भड़कीले वस्त्रों ही पर रेंगने

वाली नहीं पा रही थी, बल्कि उसके युवा जिस्म की प्यासी पा रही थी। वह अपना शरीर चाहने वाली नज़रों से बदला लेने की योजनाएं बनाने लगी। बहुत देर बाद सोने के लिए उसने कमरे की रोशनी गुल कर दी, पर उसके साथ ही उसकी नींद भी गायब हो गई। विकलता व विह्वलता के साथ फिर वह इन्हीं नज़रों के बारे में सोचने लगी जो उसके शरीर के अंग-अंग पर चिपक जाती थीं, सोचते ही सोचते कमरे में हर ओर उसको आंखें नज़र आने लगीं, बड़ी-बड़ी, मोटी मर्दानी आंखें, पीली और लाल डोरों वाली गन्दी आंखें सबकी सब उसे घूर रही थीं।

उनकी नज़रें बड़ी-बड़ी लाल लाइट की तरह उसके शरीर के एक-एक अंग को नंगा करने लगीं, उसने घबराकर रजाई ओढ़ ली और तकिए पर औंधी हो गई, पर अपने तकिए में भी उसे दो बड़ी घिनौनी आंखें दिखाई देने लगी, वह विकल हो उठी और हांफते हुए कमरे को रोशन कर दिया, पूरी रात उसके लिए सोना दूभर हो गया।

दूसरे दिन उसे हल्का-सा ज्वर था। कॉलेज जाने से रोका भी गया, पर वह घर से निकल पड़ी। गली के नुक्कड़ पर हेयर कटिंग सैलून वाला सर्वदा की भांति खड़ा हुआ था, उसकी आंखें बिल्कुल कांच की बनी हुई न हिलने-डुलने वाली मालूम हो रही थीं। उसका मन चाहने लगा कि आगे बढ़कर उसकी आंखों में अपने नाखून घोंप दे। वह रास्ते में सोचने लगी कि स्त्रियों को देखने वालों को अगर पुलिस गिरफ़्तार कर ले तो कितना अच्छा हो ! पर उसने फिर विचार किया कि पुलिस किस आधार पर देखने वालों को गिरफ़्तार कर सकती है, जबकि इस क़िस्म का कोई क़ानून ही नहीं है और अगर स्वयं स्त्रियां भी पुलिस से 'नज़रबाज़ों' की शिकायत करें तो उनके पास इसका क्या प्रमाण होगा कि किसने क्या और किस प्रकार उन्हें देखा है और इससे उन्हें क्या क्षति पहुंची है?

इसी सोच-विचार में उसका मस्तिष्क थकने लगा-सामने से एक व्यक्ति, जिसके होठों पर मुस्कान खेल रही थी उसे अपनी नज़र का केन्द्र बनाए, हुए आ रहा था, जैसे ही उसकी नज़र ने आने वाले की व्यस्तता को परखा, वह सहसा सिहर-सी गई। उसे ऐसा लगा कि देखने वाले की केवल नज़रें ही उस पर नहीं पड़ रही हैं, बल्कि नज़रों ही नज़रों में

थोड़ी देर बाद जब वह चेती तो खुद को चादर में लिपटा पाकर और एक स्त्री को साथ देखकर उसे सुख-शान्ति का अनुभव हुआ वह संभल-सी गई, फिर धीरे-धीरे उस स्त्री के साथ वापस होने लगी। भीड़ छट गई। लोगों की नज़रें अब भी उस पर पड़ रही थीं, पर चादर से टकरा-टकरा कर उन्हें निराश होना पड़ रहा था।

देखने वाले के हाथ और होंठ भी उसके शरीर को छू रहे हैं, इस प्रकार के अनुभव के साथ ही उसके शरीर में विद्युत धारा दौड़ने लगी, वह ध्यान हटाने के लिए दूसरी ओर मुड़ गई पर सामने दूसरी दो आंखें नज़्ज़ारे में व्यस्त थीं। उसे यूं लगा कि जैसे देखने वाला अपने पूरे शरीर को नज़रों में समोकर उसके शरीर में घुसा रहा हो, उसके अधरों पर कपकपाहट पैदा हो गई, गला सूख गया, अनजाने ही वह अपनी ओढ़नी सीने और सिर पर कसने लगी।

कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक क्षण के लिए उसकी दृष्टि उठी तो सामने ही पायदान पर खड़े हुए टैम्पो ड्राइवर की नुकीली मूछें उसके चेहरे से मस होती हुई महसूस होने लगीं-वह ज़ोर से चिल्ला उठी और सपाट बस स्टैंड की ओर दौड़ने लगी, लोग चकित हो-होकर उसे देखने लगे, बहुत से तो उसके पीछे बस स्टैंड तक पहुंचे, कोई 'पागल' कह रहा था और कोई नशेड़ी समझ रहा था, उसकी सांस तेज़ी से फूल रही थी। लोगों की भीड़ को अपने चारों ओर देखकर उसकी रही-सही चेतना भी जाती रही और वह मूर्छा खाकर गिर पड़ी। उसके अधरों पर कपकपाहट थी और बड़ी कठिनाई से कुछ टूटे-फूटे शब्द निकाल पा रही थी, 'ओह, मेरे शरीर में तीर क्यों चुभा रहे हो, मेरे सीने में क्या चुभ रहा है, मेरे गाल, हाय, हाय, छोड़ो, छोड़ो, मुझे बचाओ-'!! लोग चकित हो-हो उसकी बातें सुन रहे थे, इतने में स्टैंड पर बस आकर रुकी। उससे उतरकर एक स्त्री फुटपाथ पर आई जो सिर से पैर तक चादर ओढ़े हुए थी, उसने जब एक लड़की भीड़ में घिरी पाई तो देखने के लिए ठहर गई वह अब भी कुछ कहने का प्रयत्न कर रही थी, ओढ़नी के एक सिरे को सिर के नीचे दबाए, दूसरे सिरे से अपना सीना और पेट ढांकने के लिए हाथों को हरकत देने लगी। यह देखते ही चादर ओढ़े हुई स्त्री आगे बढ़ी और उसने लड़की को भी अपनी चादर में समेट लिया।

थोड़ी देर बाद जब वह चेती तो खुद को चादर में लिपटा पाकर और एक स्त्री को साथ देखकर उसे सुख-शान्ति का अनुभव हुआ वह संभल-सी गई, फिर धीरे-धीरे उस स्त्री के साथ वापस होने लगी। भीड़ छट गई। लोगों की नज़रें अब भी उस पर पड़ रही थीं, पर चादर से टकरा-टकरा कर उन्हें निराश होना पड़ रहा था। ■■

आख़िरी पन्ना



अमरपाल सिंह

नैतिक दोष

जिन्हें क़ुरआन दूर करना चाहता है

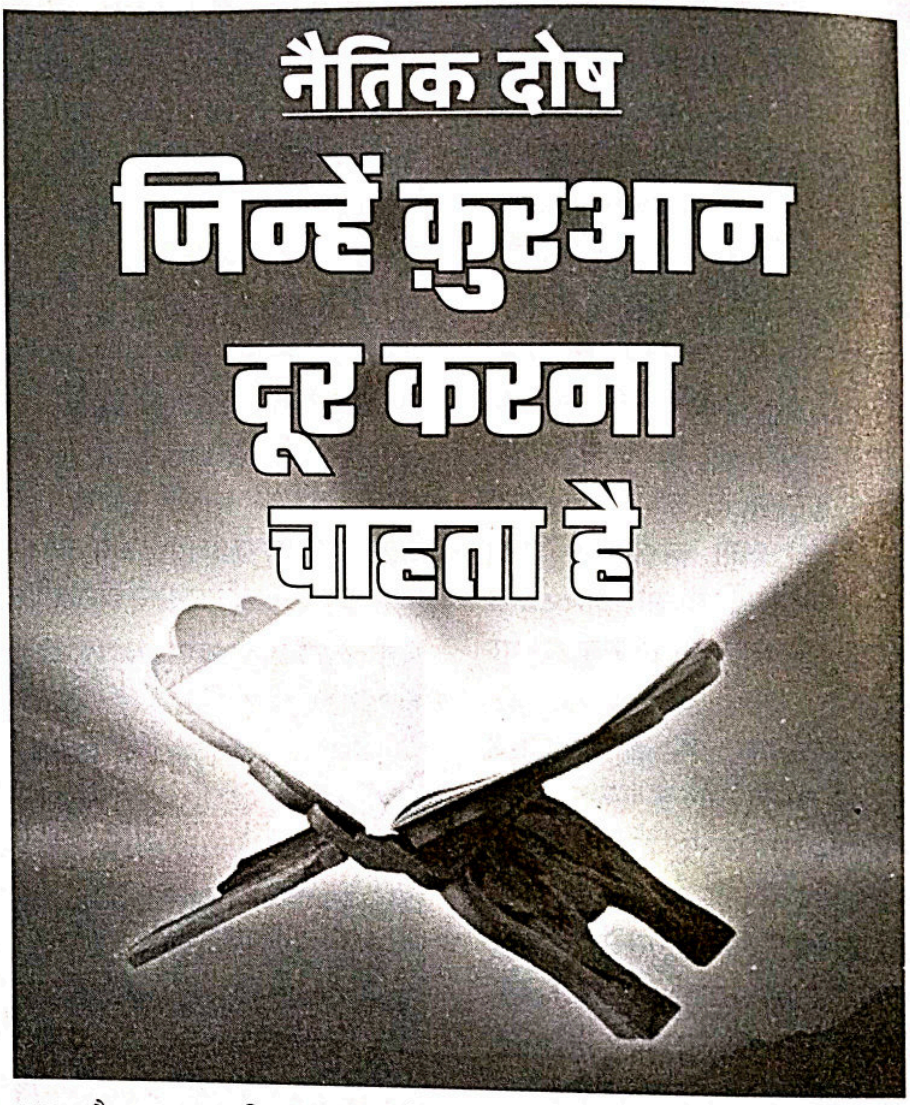

नैतिकता का प्रकटीकरण मानव-समाज में वाणी और व्यवहार के द्वारा होता है और दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध भी है। क्षणिक और तुच्छ स्वार्थ के वशीभूत मानव के अन्दर बहुत से दुर्गुण आ जाते हैं। इन्हें दूर करने का स्पष्ट आदेश क़ुरआन देता है और इस व्यावहारिक पक्ष को ईमान और विश्वास के सैद्धान्तिक पक्ष से जोड़कर उसकी आधारशिला को शक्ति प्रदान करता है।

पवित्र क़ुरआन की सूरा 2 की आयत 27 और सूरा 16 की आयत 91 और सूरा 17 की आयत 34 में बताया गया है कि समाज के किसी घटक को, अल्लाह (ईश्वर)को, इस दुनिया को, जो वचन तुम दो, उसे किसी भी दशा में भंग न करो। कोई वादा करके उसे किसी भी हालत में न तोड़ो। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा नुक़सान साबित होगा। सूरा 13 की आयत 20 में कहा गया है कि जो प्रतिज्ञा करो उसे पूरा करो, हर हाल में। इक़रार को तोड़ो मत, अनुबन्ध की पूर्ति करो।

इस्लाम ने वचन-बद्धता और सत्य के साक्षी बनने पर विशेष बल दिया है। इस्लाम इसको सहन नहीं कर सकता कि व्यक्ति वचन भंग करे, धोखा दे और कथनी के विपरीत करनी करे। सूरा 2 की आयत 84, सूरा 25 की आयत 68, सूरा 4 की आयत 29, सूरा 6 की आयत 152 और सूरा 17 की आयत 33 में स्पष्ट आदेश है कि नाहक़ किसी का ख़ून न बहाओ। नाहक़ किसी की जान मत लो।

इस सन्दर्भ में प्रयुक्त 'नाहक़' शब्द विचारणीय है। किसका ख़ून बहाया जाना हक़ की बात होगी और किसका नाहक़ की बात, इसका निर्णय, हमारी समझ से, ख़ुदा पर छोड़ दो। इन्सान हक़ और नाहक़, नेक-बद, भला-बुरा, का निर्णय करने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी अक़्ल, बुद्धि, का समार्थ्य सीमित है, महदूद है। उसके सोचने-समझने का दायरा छोटा है। इसका निर्णयकर्ता एक मात्र अल्लाह (ईश्वर) है। अतः अल्लाह ने स्वयं इसका निर्णय करके मानव के भार को हल्का कर दिया है। अब इस सम्बन्ध में 'हक़' वही है जिसका निर्देश ईश्वर ने दिया है। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि जो तुम्हारा ख़ून बहाने को तत्पर है या किसी का ख़ून बहा देता है, उसका ख़ून तुम बहा सकते हो, यह हक़ की बात है। जो किसी का ख़ून बहा देता है, क़त्ल कर देता है, उसको क़त्ल कर देना, मृत्यु-दण्ड देना हक़ बजानिब है, न्याय संगत है और तर्क संगत भी। यह नैतिक नियम इस दुनिया के सभी प्राणियों पर समान रूप से लागू होता है। इसी की पुष्टि क़ुरआन भी करता है। हमारी समझ में क़त्ल या फांसी की वर्तमान न्यायिक सज़ा भी किसी भी गम्भीर जुर्म की एक मात्र हक़ बजानिब सज़ा नहीं है। इसके कई विकल्प भी हो सकते हैं। मृत्यु-दण्ड मात्र अन्तिम उपाय के रूप में ग्रहणीय

है, हक़ है। जब सारे विकल्प असफल हो जाएं, तब ही मृत्यु-दण्ड, फांसी की सज़ा, अन्तिम उपाय के रूप में अपनाई जानी चाहिए।

अतः मृत्यु-दण्ड तभी दिया जाना चाहिए जब दण्ड के अन्य उपाय अपना प्रभाव दिखाने में असफल सिद्ध हो जाएं। तभी इसे उचित भी कहा जा सकता है, अन्यथा मनुष्य का यह गर्व मात्र होकर रह जाएगा जो अल्लाह के दरबार में दण्डनीय भी होगा।

इसी सन्दर्भ में सूरा 2 की आयत 178 तथा 179 और सुरा 5 की आयत 33 पर भी तनिक विचार करने की

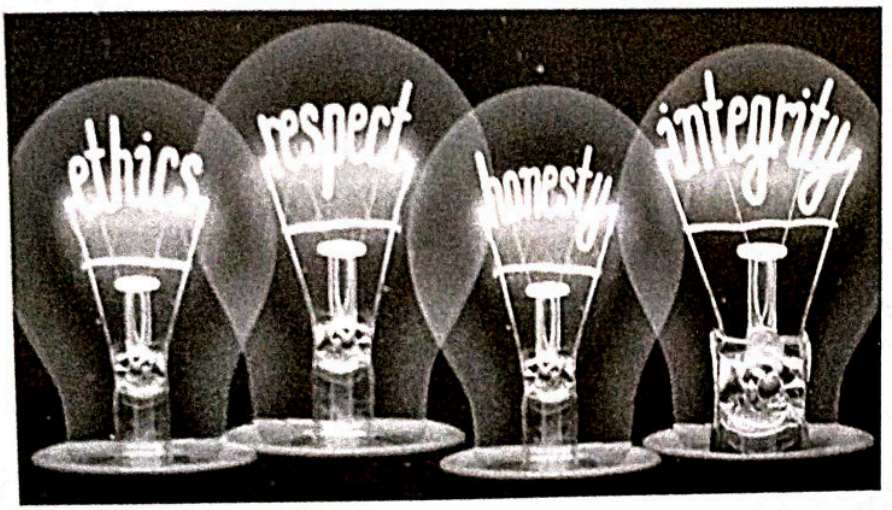

ज़रूरत है। आयत 178 में वर्णन है कि 'हे ईमान लानेवालो! मारे गए लोगों के बारे में, क़त्ल किए गए लोगों के सन्दर्भ में, ख़ून का बदला लेने में 'बराबरी' (क़िसास) तुम्हारे लिए उचित ठहरा दी गई। आज़ाद वक्ति का बदला आज़ाद व्यक्ति के बराबर, ग़ुलाम व्यक्ति का बदला ग़ुलाम के बराबर और स्त्री का बदला स्त्री के बराबर है।'

इतनी कठोर किन्तु न्यायपूर्ण व्यवस्था देकर अल्लाह को, क़ुरआन मजीद को, सन्तोष का अनुभव होता हो प्रतीत ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आगे इसी आयत में मृत्यु-दण्ड की यह व्यवस्था 'अत्यन्त नर्म' कर दी गई है और आदेश दिया गया है कि 'यदि किसी क़ातिल को मक़तूल (जिसे क़त्ल किया गया है) के पक्ष द्वारा (मक़तूल के भाई की ओर से) कुछ माफ़ी मिल जाए, कुछ क्षमादान मिल जाए, तो क़ातिल को सज़ा देने के लिए परम्परागत सामान्य नियमों का पालन करो और ख़ून की क़ीमत या अर्थदण्ड, ख़ूनबहा, की अदायगी को, जो उत्तम रीति है, अपनाओ। यह तुम्हारे रब की ओर से एक नर्मी और दयालुता है। इसके बाद भी, जिस किसी ने ज़्यादती की, उसके लिए (परलोक की) दुःखदायी यातना है।'

प्रथमतः बराबरी की व्यवस्था, 'जैसे को तैसा' की व्यवस्था, क़िसास की व्यवस्था, से अल्लाह को इसलिए सन्तोष होता प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यह व्यवस्था उसके क्षमावना, दयावान, कृपाशील गुणों के प्रतिकूल है। वह मानव के व्यवहारों से, उसके त्रुटिपूर्ण स्वभाव से भी पूर्णतः अभिज्ञ है। वह भली भांति जानता है कि ग़लती करना मानव का सहज स्वभाव है और क्षमा करना अल्लाह की सिफ़त (गुण) है, ईश्वरीय गुण है। इसीलिए, परोक्ष रूप से, अल्लाह, क़ुरआन मजीद, मक़तूल पक्ष से क़ातिल को क्षमादान देने को आग्रह करता है, आदेश देता है वह अपनी 'नर्मी' और 'दयालुता' के गुणों की ओर मक़तूल पक्ष का ध्यान आकर्षित करता है। यदि मक़तूल पक्ष को इतने से सन्तोष न हो, जैसा कि मानवीय स्वभाव भी है, तो वह क़ातिल से ख़ून की क़ीमत, अर्थदण्ड, ख़ूनबहा, ले सकता है। इस रीति-नीति को अल्लाह ने एक 'उत्तम' रीति बताया है।

आयत 179 में वर्णन है कि 'तुम्हारे लिए(मानव के लिए)क़िसास (बराबरी-जैसे को तैसा) की व्यवस्था में हे बुद्धिमानों ! जीवन की रक्षा है, ताकि तुम बचते रहो अर्थात तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सके।'

उपर्युक्त दोनों आयतों की व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य, मूल भावना, 'मानव की प्राण-रक्षा करना है।' इस सन्दर्भ में हम क़िसास की व्यवस्था पर थोड़ा विचार करें। इस व्यवस्था में एक ओर एक मक़तूल का प्राण तो चला ही जाता है और उसके परिणाम में दूसरी ओर एक क़ातिल का भी प्राण हरण कर लिया जाता है। इस प्रकार दो मनुष्यों के प्राण चले जाते हैं। इसे मानव जीवन की रक्षा कैसे कहा जाए?

इतना ही नहीं, एक समस्या यह भी है कि यदि एक ग़ुलाम व्यक्ति किसी आज़ाद व्यक्ति को क़त्ल कर दे, तो उस ग़ुलाम से किस तरह क़िसास की व्यवस्था में बदला लिया जाए? इसी तरह, यदि एक स्त्री ने किसी पुरूष को क़त्ल कर दिया, तो उस स्त्री से किस प्रकार से बराबरी के सिद्धान्त के अनुसार बदला लिया जाए? यह समस्या और अधिक गम्भीर हो जाती है यदि कल्पना की जाए कि उस क़ातिल स्त्री का कोई पुरूष नहीं है। यह समस्या तभी सुलझ सकती है जब किसी ऐसे क़ातिल के लिए मृत्यु-दण्ड, फांसी की सज़ा, न देकर कोई अन्य विकल्प अपनाया जाए, जैसे

ख़ून की क़ीमत, अर्थदण्ड, ख़ूनबहा, देश निकाला आदि।

फिर भी, यह मानकर विचार करना ही उचित होगा कि अल्लाह की व्यवस्था में कोई 'हिकमत' (wisdom) अवश्य निहित होती है। एक क़ातिल के लिए मृत्य-दण्ड की व्यवस्था में भी उसकी एक हिकमत नज़र आती है-वह यह है कि क़ातिल (एक असामाजिक तत्व, एक अवांछनीय व्यक्ति) से समाज को, देश को, सदा-सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है, जिससे समाज के अन्य लोगों की जान की रक्षा हो जाती है। इतने पर भी, क़िसास, बराबरी, और मृत्यु-दण्ड का सम्बन्ध अनिर्णीत ही रह जाता है।

ईश्वर बेहतर जानता है कि आज का कोई क़ातिल भी कल का एक अच्छा आदमी, समाज-सेवक, बन सकने की सम्भावना अपने में निहित रखता है। वह आगे कभी भी दूसरों को क़त्ल करने से तौबा कर सकता है, कत्ल का प्रायश्चित भी कर सकता है। उसमें नेक आदमी बनने की सम्भावनाएं अभी भी शेष हो सकती हैं। एक बुरी ज़िन्दगी किसी भी चौराहे पर कभी भी एक सुन्दर, सुशील ज़िन्दगी की ओर मोड़ ले सकती है, इस की सम्भावना है। इसलिए उसकी जान की भी रक्षा होना अभीष्ट है। उससे भी समाज का कल्याण होना, ओग चलकर,सम्भव है।

इसलिए क़ुरआन ख़ून की क़ीमत, अर्थदण्ड, ख़ूनबहा, आदि विकल्पों की व्यवस्था करता है। इससे क़ातिल के प्राण की रक्षा भी हो जाती है और मुजरिम को दण्ड देने का उद्देश्य-व्यक्ति का सुधार-भी सम्भव हो सकता है। ऐसे उदाहरणों से मानव-इतिहास भरा पड़ा है जब महा अपराधियों ने अपना आगामी जीवन सुधारा है और महापुरूषों की

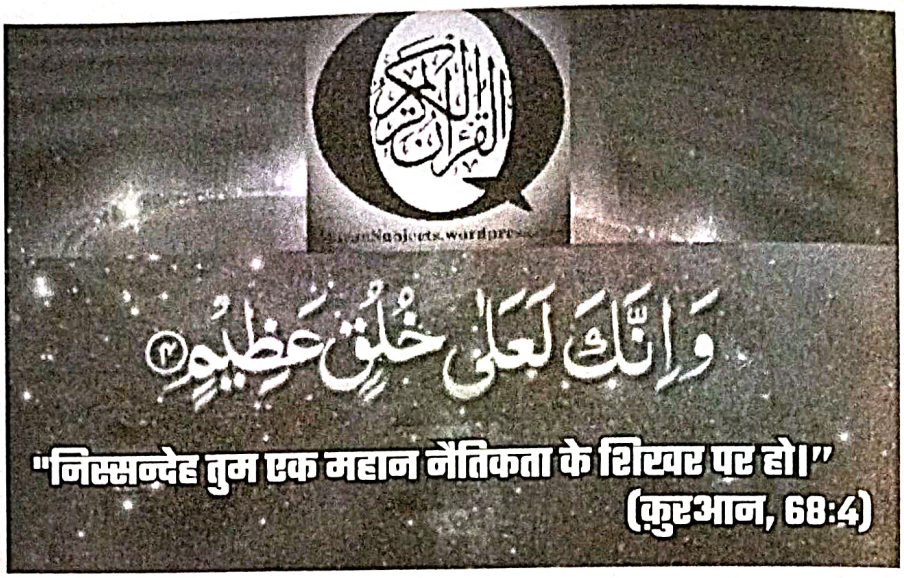

राह पर चलना स्वीकार किया है और अपनी कृतियों और कर्मों से समाज का अकथनीय कल्याण किया है। कोई व्यक्ति कब क्या हो जाएगा, इसे अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसीलिए उसने हर जान की रक्षा की व्यवस्था की है, वह चाहे जिस प्रकृति का हो। हरेक से उसे कुछ शुभ की आशाएं हैं।

अल्लाह आदम की संन्तानों से पूर्णतः निराश, हुआ प्रतीत नहीं होता। इसलिए उसने आदमी की जान की रक्षा प्राण-रक्षा का बेड़ा उठा रखा है, क्योंकि वह हर जान की क़ीमत जानता है। इसलिए मानव के क़त्ल के सन्दर्भ में मृत्यु-दण्ड की अपेक्षा ख़ूंबहा, अर्थदण्ड, जान की क़ीमत लेने, को अल्लाह ने उत्तम रीति बताया है, किन्तु ऐसा करके उसने न्याय की मर्यादा को भंग नहीं होने दिया। यह क्षमादान की व्यवस्था मक़तूल पक्ष की स्वीकृति के अधीन है। वह यदि स्वीकार न करे तो 'जान के बदले जान' की न्यायिक प्रक्रिया से महानतम पदाधिकारी की सिफ़ारिश भी क़ातिल की जान नहीं बचा सकती।

इस भौतिक जगत में मानव की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसका जीवन है। किसी भी संपत्ति से उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए क़ातिल (हत्यारा) की जान लेकर उसे मृत्य-दण्ड देकर उसका बदला चुकाया जाता है। यदि ऐसे न किया जाए तो किसी के प्राण की रक्षा करना कठिन होगा। इस दण्ड के द्वारा हत्य की संभावना न्यूनतम कर दी जाती है। इसीलिए क़ुरआन ने 'क़िसास' (बराबर का बदला) में विचारवान के लिए 'जीवन' की स्थापना की है। ख़ूनबहा या ख़ून की क़ीमत लेकर क़ातिल को माफ़ करने में क़ातिल के लिए एक प्रकार का जीवनदान मिलता है जिससे भविष्य के जीवन में सुधार के मार्ग अपनाने और स्वयं को समाज के लिए हितकर साबित करने का एक अनोखा सुअवसर क़ातिल को मिल जाता है और मक़तूल (जिसे क़त्ल किया गया है) के वारिसों को ख़ूनबहा के रूप में एक बड़ी सहयोग राशि भी मिल जाती है। क़ातिल अगर प्रायश्चित करे और मक़तूल के वारिस को राज़ी कर ले तो इसमें सामाजिक दृष्टि से भी कई लाभ निहित हैं। यह क्षमादान मक़तूल के वारिसों के अधिकार में देकर क़ुरआन ने न्याय की धुरी को मज़बूत किया है। यदि ऐसा न होता तो न्याय की सीमा का उल्लंघन होता। इस सम्बन्ध में न्यायाधीश या सत्ताधारी को क़ुरआन अधिकार शून्य करके न्याय भंग करने के सारे दरवाज़े बन्द कर देता है। ■■

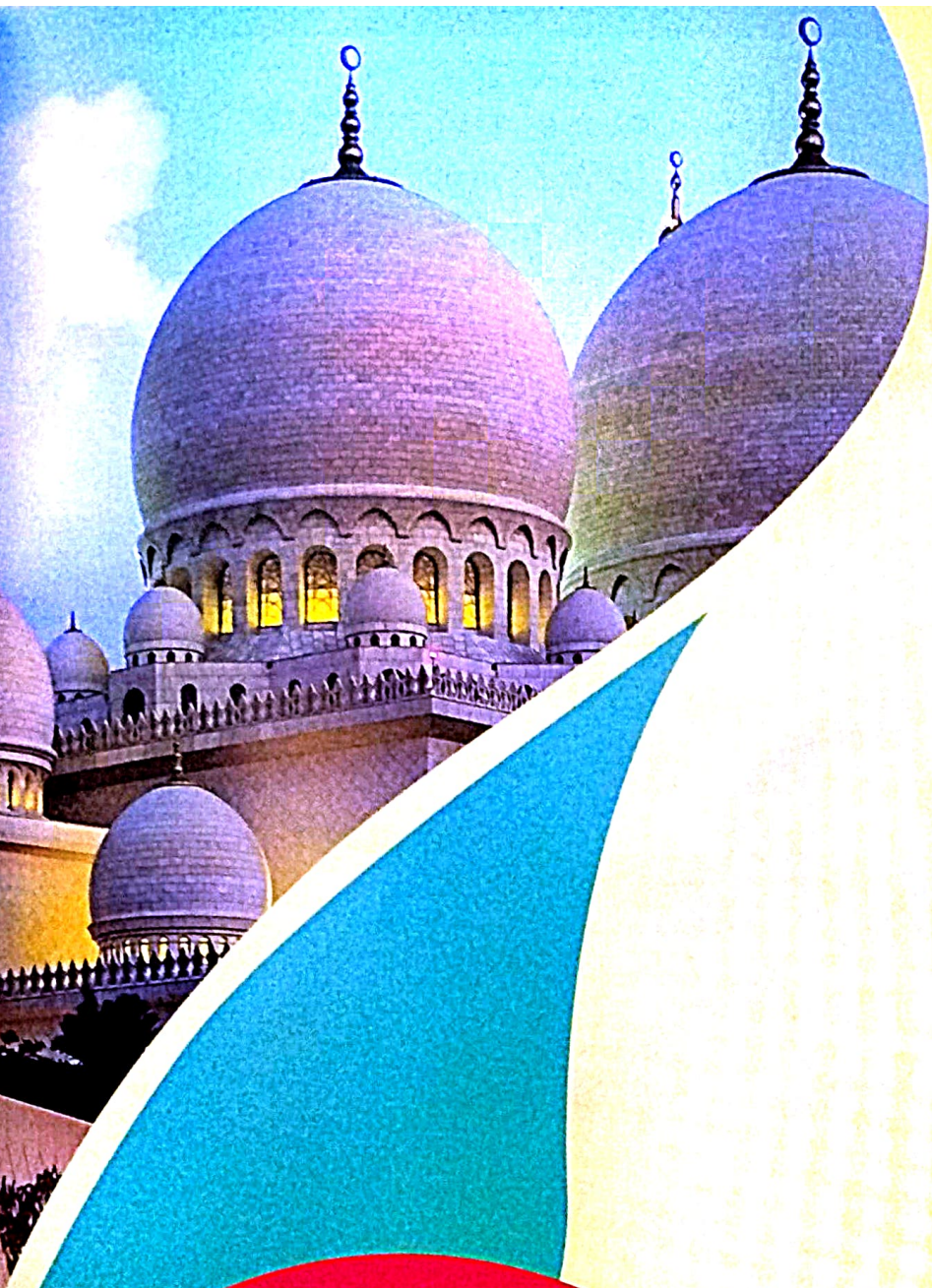

अगर आदम की सन्तान के पास माल से भरी दो घाटियां भी हों तो उसे तीसरी की इच्छा और तलाश होगी। आदम की सन्तान के पेट को सिर्फ़ मिट्टी ही भरती है, और अल्लाह तौबा करने वाले की तौबा स्वीकार करता है।

(हदीस : बुख़ारी)

with best compliment from

J.I.H.
Pratap Nagar,
Sanganer
Jaipur (Raj.)

KANTI Monthly, New Delhi
OCTOBER 2024
Posted on 20-21 September 2024
Published on 18 September 2024
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2024-2026
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2024-26
Total Pages with Cover: 52



अतः उच्च है अल्लाह,
वास्तविक सम्राट। और देखो,
क़ुरआन पढ़ने में जल्दी न किया करो जब तक कि तुम्हारी ओर
उसकी प्रकाशना (वह्य) पूर्णता को प्राप्त न हो,
और दुआ करो कि ऐ पालनहार! मुझे
और अधिक ज्ञान प्रदान कर।

(क़ुरआन, 20:114)

with best compliment from

J.I.H., Jhansi (UP)